

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
OA NO.737/2023

IN THE MATTER OF:

SOCIETY FOR VOICE OF HUMAN RIGHTS

...APPLICANT

VERSUS

MAHALAXMI LAND AND FINANCE COMPANY
& ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Additional Affidavit on behalf of Respondent, Ghaziabad Nagar Nigam	1-4
2.	Annexure A-1 True Copy of Civil Misc Writ Petition No. 11754/2002 filed before the Hon'ble Allahabad High Court.	5-98
3.	Annexure A-2: True Copy of Khatauni dated 26.06.2024 for Khasra No. 1564	99-102
4.	Annexure A- 3: True Copy of Letter dated 22.07.2024 issued by the Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal Corporation to the District Magistrate	103-108
5.	Annexure A- 4: True Copy of Letter dated 12.08.2024 issued by the Office of the District Magistrate to Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal Corporation	109-114

FILED BY

Malak

MALAK BHATT
ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.5
C-7, GROUND FLOOR, NIZAMUDDIN EAST,
NEW DELHI 110013
E: malak@malakbhatt.com | M: +919650592002

NEW DELHI
24.08.2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
OA NO.737/2023

IN THE MATTER OF:

SOCIETY FOR VOICE OF HUMAN RIGHTS

...APPLICANT

VERSUS


MAHALAXMI LAND AND FINANCE COMPANY
& ORS.

...RESPONDENTS


ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.5,
GHAZIABAD NAGAR NIGAM

I, Pallavi Singh W/o Sri Anurag Mishra Posted as Asst. Municipal Commissioner Ghaziabad Nagar Nigam, do hereby solemnly state and affirm as under:

1. That I am the Authorized Signatory/Representative of Ghaziabad Nagar Nigam and as such am competent to swear the present Affidavit.
2. Vide Order dated 10.05.2024, the Hon'ble bench sought clarifications with regard to the pending litigation pertaining to the said lands before the Hon'ble Allahabad High Court.
3. Accordingly, in compliance with the directions of this Hon'ble Court, the information as sought is being furnished below:
4. In the captioned OA, the plea of the Applicant pertains to Survey No. 2476 and 1564 comprising of an area of 0.961 sq. yards. It is contended that as per revenue records Khasra No. 1564 is earmarked as a lake (Jheel) however on the said land, residential construction is being raised by the Respondent No.1.



5. Briefly it is submitted that the Answering Respondent had approached the Hon'ble Allahabad High Court challenging the decision of the Board of Revenue, wherein the land earmarked as 'Abadi' on Survey No. 1564 (among various other Survey Nos) was changed/forged in the Revenue Record without the Order of any competent authority as land in the name of M/s Mahalaxmi Land & Finance Company.
6. It may be noted that Respondent No.1 had preferred an Application in the year 1979 apprising the Sub-Division Officer ('SDO') that the land i.e., Survey No. 1564 had changed on account of construction activities being carried out and accordingly the land earmarked for Jheel be marked as 'Abadi.' In this regard, on 08.08.1979, the SDO registered a case under Section 33/39 of the Land Revenue Act, 1901. Accordingly, the said land was recorded as 'Abadi' in the Khasra Khatauni on 16.08.1979.
7. Thereafter without any Order from any competent Authority, after the word Abadi, the name of Colony, and M/s Mahalaxmi Land & Finance Company was entered in the Revenue Record. An Order was passed by the SDO directing the name of Respondent No.1 i.e., M/s Mahalaxmi Land to be removed from the revenue records as the same was forged and without any authority and against this a Revision was preferred by Respondent No.1 before the Additional Commissioner, who made a reference of the dispute to the Board of Revenue. Respondent No.1 also approached the Hon'ble High Court wherein the Hon'ble Court directed the matter to be remanded back to the SDO for fresh consideration. After hearing the parties involved a detailed Order was passed by the SDO on 15.10.1999 holding the entry of M/s Mahalaxmi Land in the revenue records to be a forged entry. A revision was again preferred by Respondent No.1 on the ground that the Order dated 08.08.1979 having been passed under Section 143 of the Zamindari Abolition & Land Reforms Act, 1950




in a regular proceeding cannot be corrected in a proceeding under Section 33/39 of Land Revenue Act.

8. It is pertinent to note that the Board of Revenue while hearing the revision was also under an incorrect assumption that the Order was passed under Section 143 of the Zamindari Abolition & Land Reforms Act, whereas the same was passed under Section 33/39 of the LR Act and as such the Collector is competent to direct removal of a forged entry in the revenue records. Accordingly, the Answering Respondent had preferred Civil Misc. Writ Petition No. 11754/2002 before the Hon'ble High Court challenging the Order(s) passed by the Board of Revenue. **It is pertinent to note that while hearing the Petition, the Hon'ble High Court was pleased to stay the decision of the Board of Revenue dated 28.11.2001, and this Stay is currently in effect and the same can also be verified from the Khasra Khatauni for Khasra No. 1546 which reflects that the Order dated 28.11.2001 has been stayed.**

True Copy of Civil Misc Writ Petition No. 11754/2002 filed before the Hon'ble Allahabad High Court is marked and annexed herewith as **Annexure A-1.**

True Copy of Khatauni as on date 26.06.2024 for Khasra No. 1564 is marked and annexed herewith as **Annexure A-2.**


9. As is evident, the said proceedings before the Hon'ble High Court were only pertaining to the change of name in the revenue records. The Answering Respondent is not the competent authority to decide the nature or use of land, or its allotment and its role is limited to only the custodian of the Land.



10. Accordingly, pursuant to the Order dated 10.05.2024, a communication was issued by the Answering Respondent dated 22.07.2024, to the District Magistrate reiterating the position of the Answering Respondent as stated hereinabove regarding the proceedings before the Hon'ble High Court. True Copy of Letter dated 22.07.2024 issued by the Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal Corporation to the District Magistrate is marked and annexed herewith as **Annexure A-3**.

11. On the basis of the Communication issued by the Answering Respondent, The District Magistrate directed the matter to be investigated by Tehsildar, Sadar, Ghaziabad which also noted that the Order of the Board dated 28.11.2001 had been stayed by the Hon'ble High Court and that the matter is currently pending. In addition, it was also informed that Khasra No. 2476 is registered in the name of Hindon Air Force.

True Copy of Letter dated 12.08.2024 issued by the Office of the District Magistrate to Municipal Commissioner, Ghaziabad Municipal Corporation is marked and annexed herewith as **Annexure A-4**.



I say that the contents of the present Affidavit have been stated by me in an official capacity based on and derived from official records maintained by the Company and nothing material has been concealed therefrom.

I identified the deponent who has signed in my presence

24 AUG 2024

DEPONENT

Verified on this day _____ at _____ that the contents of Paragraphs 1 to 11 are true and correct to the best of my knowledge and belief and based on information derived from records maintained by the Corporation. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

ATTESTED
 NOTARY (Govt. of India)
 Neelam Sharma
 Advocate
 Ch. No. 16/A, Gate No. 11
 Paliya House Courts
 New Delhi-110001
 (M): 9899408301

DEPONENT

24 AUG 2024

101 ANNEXURE A-1

S. M. Shukla (Adv)
Ch. 123

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT RAJAHMUNDRAM

IN RE

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 11754 OF 2002

DISTRICT: GHANSHYAM

Nagar Nigam Ghanshyam through Kuchya Nagar Adhikari
Nagar Nigam Ghanshyam,Petitioner

VERSUS

The Board of Revenue S.R. (Camo Meerut)
District Meerut and othersAssessments

Sr.No.	Particulars	Pages
1.	Misc. Stay Application	1-2
2.	Writ Petition	3-26
3.	<u>Annexure-1</u> : A true photo copy of the judgment dated 20.9.1996 in writ petition No. 1997 of 1996.	25-36
4.	<u>Annexure-2</u> : A true copy of the order of the Sub. Divisional Officer under section 23/29 L.R. Act dated 8.11.99.	37-40
5.	<u>Annexure-3</u> : A true copy of the xxxxxxx judgment and order passed by the Sub. Divisional Officer Ghanshyam dated 15.10.1999.	41-47
6.	<u>Annexure-4</u> : A true copy of the order passed by the National Commission Securitio Revision No. 3 on 17.7.2000.	48-56

-2-

7. Annexure-5 : A true copy of grounds of revision on behalf of the petitioner.

57-60


8. Annexure-6 : certified copy of the impugned order dated 28.11.2001 passed by respondent no. 1.

61-65

66-68

9. Affidavit

10. Vakalatnam


(P. R. CHANDRA)
ADVOCATE

DATED: 19.3.2002

COUNSEL FOR THE PETITIONER

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT AGRA

DATE AND VENUE

IN

CIVIL REG. WRIT PETITION NO. 1754 OF 2002

DISTRICT: GHAZIABAD

Nagar Nigar Ghaziabad through Mukhya Nagar Adhikari
Nagar Nigar Ghaziabad.petitioner

VERSUS

The Board of Revenue, D.P., (Camp Meerut)
District Meerut and othersrespondents

Sl.No.	Date	Events
1.	1-11-1972	The State Government published a Notification Under section 17(6) of U.P.Z.A. & L.R. Act, whereby all the land whether cultivable or otherwise of Gaon Sabha Pasonda vested in Nagarvalike Ghaziabad which is now Nagar Nigam Ghaziabad. Disputed land on the date of vesting was recorded as Banjar, Rasta and Jheel and was also entered as the property of Gaon Sabha in the Revenue records.
2.	8.6.1979	Respondent No. 4 moved an application that the nature of the disputed land has changed on account of construction of a Colony by him on the adjacent land as such it may be entered as 'Abadi'. Sub Divisional Officer Ghaziabad without notice to the petitioner or his predecessors registered a case under section 33/39 L.R. Act and after notice to Gaon Sabha and State directed the land to be recorded as 'Abadi' only.



-2-

3. 16.8.1979 Parwana AmalBaramad was issued on the basis of aforesaid order and the land in dispute was recorded as 'Abadi' in the Khatauni of 1382F.-1388 Fasil.
4. 1290F. to 1395F. Without any order after the word 'Abadi' in the Revenue record the name of (Coloney M/S Mahaluxmi Land Finance Company) was also entered.
5. 22.8.1985 Sub Divisional Officer Ghaziabad directed to exouge the name of (Coloney M/S Mahaluxmi Land Finance Company (Pvt.)Ltd.) as it was forged and without order of any competent authority.
6. 12.8.1985 Respondent no. 4 filed a Revision before the Additional Commissioner who made a reference to the Board to setaside the order dated 22.8.1985 and remand the matter to decide afresh after notice to the parties.
7. 29.8.86 Recommendation of the Additional Commissioner was rejected by the Ld. Member, Board of Revenue and by a detailed order it was directed that the land in dispute be again recorded as Gaon Babha land.
8. 30.1.96 Respondent no. 4 filed a writ petition before the Lucknow Bench of Hon'ble High court, where the matter was considered and the same was remanded to the Sub Divisional Officer Ghaziabad to decide afresh after proper opportunities to the parties of hearing.
9. 15.10.99 Sub Divisional Officer Ghaziabad registered a case No. 4 of 99-99 and after providing



opportunities to the parties for filing objections, evidence and hearing, decided the matter by a detailed judgment dated 15.10.99 holding that the entry (Colonney 1/3 Mahalaxmi Land Finance Company) is a forged entry without any order of Competent Authority as such liable to be expunged. (Annexure-3)

10. 18.7.2000

Respondent No. 4 preferred a revision No. 3 of 99-2000 before Additional Commissioner Meerut, who allowed the same on the ground that the initial order dated 8.8.79 having been passed under section 143, Z.A. Act in a regular proceeding (whereas the said order was passed under section 33/39 L.R. Act) can not be corrected in a proceeding under section 33/39 L.R. Act and further the land in dispute is not covered under the definition of land under section 3(14) of the Z.A. & L.R. Act.


11. 23.11.2001

Respondent no. 4 committed the same mistake ^{on} and, wrong assumption that the original order dated 8.8.79 was passed under section 143 Z.A. & L.R. Act dismissed the revision of the petitioner, whereas the order dated 8.8.1979 was passed under section 33/39 L.R. Act and as such the Collector is competent to delete the forged and fake entry in the revenue record which was never directed by any Authority competent to pass such order.

By means of this writ petition the

-4-

petitioner is challenging the judgment and orders passed by respondent no. 1 dated 28.11.2001 (Annexure-6 to the writ petition) and respondent no. 2 dated 13.7.2000 (Annexure-1 to the writ petition). Both respondents committed error apparent on the face of record as such their judgments are liable to be quashed and writ petition deserves to be allowed.


(P. S. CHANDRA)
ADVOCATE

DATED: 13.3.2002


COUNSEL FOR THE PETITIONER

-2-

respondent No. 2 are wholly illegal and having been passed on wrong grounds that the original order dated 8.8.1979 was passed under section 143 2.A. & L.R. Act, whereas the said order was admittedly passed under section 33/39 L.R. Act.

P R A Y E R


It is, therefore most respectfully prayed that this Hon'ble court may kindly be pleased to stay the operation of the orders dated 28.11.2001 and 17.7.2000 passed by respondent Nos. 1 and 2 (Annexures-6 and 4) to the writ petition, and/or pass any other or further order which is fit and proper under the facts and circumstances of the case.


(PIUSK CHANDRA)

ADVOCATE

DATE: 12.3.2002

COUNSEL FOR THE PETITIONER



IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALDAHABAD.

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 11754 OF 2002

(Under Article 226/227, Constitution of India)

DISTRICT: GHAZIABAD

Nagar Nigam Ghaziabad through Mukhya Nagar Adhikari

Nagar Nigam Ghaziabad.PETITIONER

VERSUS

6970
20/3/02

~~5792~~
M.B.K.

1. The Board of Revenue, U.P. (Camp Meerut) District Meerut.
2. Additional Commissioner (Administration) Meerut Division, District Meerut.
3. State of U.P. through Collector, District Ghaziabad.
4. M/S Mahaluxmi Land and Finance Company (Pvt.) Ltd. 8-B, Jindal Trust Building, Asif Ali Road New Delhi through its Managing Director.

10/18/2002
15/3/2002
18/3/2002
.....RESPONDENTS



he hon'ble the Chief Justice and his other Companion Judges of the aforesaid court.

The Humble PETITION of the petitioner named above and respectfully sheweth as under :

1. That this is the first writ petition on behalf of the petitioner challenging impugned order dated 25.11.2001 passed by respondent no. 1, wholly Revision

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

-4-

of the petitioner was dismissed. The petitioner has not taken any other proceeding in respect of the subject matter mentioned above.

That Hon'ble High court of Judicature at Allahabad (Lucknow Bench) while entertaining and finally deciding Writ Petition No. 1993 (M.S.) of 1996 M/S Mahaluxmi Land Finance Company Vs. Board of Revenue Lucknow and others in a collection of papers case under section 33/39 Land Revenue Act directed Sub Divisional Officer Ghazialad to entertain afresh proceeding for collection of papers and provide opportunity to the parties for hearing and thereafter decide the controversy according to the observations made in the judgment. A true photo copy of the judgment dated 30.9.1996 in Writ petition No. 1993 of 1996 is enclosed herewith and marked as Annexure-1 to this petition.

That in view of aforesaid judgment of the Hon'ble High Court, Case No. 4 of 93-94 State Vs. M/S Mahaluxmi Land Finance Company and Nagar Nigam Ghazialad was registered in the court of Sub Divisional Officer/Assistant Collector 1st. Class Ghazialad. Notices were issued to the parties to file their claims.




[Handwritten signature]

-5-

4. That on behalf of Nagar Nigam Ghaziabad an objection dated 27.1.1977 was filed, in which it was stated that the land in dispute after abolition of Zamindari was recorded as Banjar, Kasta and Jheel which belongs to the Gaon Sabha Pasoda. Vide notification dated 1.11.1972 under section 117(b) of the U.P.L.A. & L.R. Act 1950 the Governor of U.P. published a notification, whereby all the land whether cultivable or otherwise vested in the then City Board Ghaziabad which has been raised now as Nagar Nigam Ghaziabad. The property in dispute were recorded in the year 1360F. to 1387 Pasli as the property of the Gaon Sabha.

5. That the respondent no. 4 is a Colonizer. He purchased some land through registered sale deed from third party to establish a Colony and the same was ^{mutated} ~~maintained~~ in the name of the Company. In the mid of the land purchased by respondent no. 4, was situated the land of Gaon Sabha which is subject matter of dispute. The respondent no. 4 made an effort in the year 1960 for exchange of disputed land between the Company and the Gaon Sabha and got a resolution passed under section 101 U.P.L.A. & L.R. Act but the same



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


-6-

was not permitted by the Sub Divisional Officer and further the appeal filed by respondent no. 4 was also dismissed.

6- That respondent no. 4 thereafter moved an application before Sub Divisional Officer Ghazialad to exonerate the entry of Panjer, Mastia and Jheel and record the same 'Abadi' in the revenue records. A proceeding under section 33/39 Land Revenue Act was registered and notice was issued to the Caon Babha and State. The Sub Divisional Officer ignoring the fact that his jurisdiction was limited and declaration of abadi was only possible in a proceeding under section 143 of the U.P.Z.A. & L.R. Act allowed the application on the basis of litigations which were not connected with the land in dispute and further the suit under section 209 filed by the Caon Babha was dismissed on technical ground of maintainability. It is

the petitioner to submit here that although the property vested in the Nagar Nigam on 1st. November, 1972 under section 117(6) of U.P.Z.A. & L.R. Act but in all these litigations Nagar Nigam was not made a party and orders were passed in his absence.

It is also indicated that the application of the petitioner to change the nature of the land was allowed on 8.3.1979 by



-7-

for Sub Divisional Officer and be directed as under :

" It is hereby ordered that the present entry of Banjar etc. in respect of the following plots will be exchanged and entire area will be recorded as 'Abadi' in the land records".

A true copy of the order of the Sub Divisional Officer under section 23/79 Land Revenue Act dated 8.5.79 is enclosed herewith and marked Annexure-2 to this petition.

2- That in compliance of the aforesaid order the property in dispute was recorded as 'Abadi' in the Khatauni of Village Pasenda 1284P. to 1289 Pasii, but without any order of any competent court or authority in the Khatauni 1290 Pasii to 1295 Pasii alongwith the entry of 'Abadi' a further entry 'Colonney Mahaluxmi Land Finance Company' was increased. This further entry was the forged entry with the intention by the respondent no. 4 to grab the land belonging to the petitioner.

That in respect of aforesaid forged entry of (Colonney Mahaluxmi Land Finance Company) in Khatauni 1290-1295 P. a complaint was made before Sub Divisional Officer Ghaziated

-8-

and be directed to erasure the said unauthorised and illegal entry ~~for~~ from the revenue record by his order dated 23.2.1985. However he further directed that the entry of 'Abadi' in view of the earlier order dated 8.8.1979 shall continue to be recorded in revenue record.


9- That the respondent no. 4 preferred a Revision No. 81 of 1984-85 in the court of Additional Commissioner Meerut in which it was alleged that the order dated 23.2.1985 was passed without any notice and further it was beyond the scope of section 22/24 Land Revenue Act. The Additional Commissioner ^{by order dated 12-6-85} made a recommendation to the Hon'ble Board of Revenue that the matter should be remanded to the Sub-Divisional Officer who will again decide the matter, ~~by order dated 12.6.1985~~ after providing an opportunity to the respondent no. 4 of hearing.

10. That the aforesaid reference was rejected by Hon'ble Board of Revenue vide order dated 29.8.96 by a ~~sub-divisional officer~~ holding that the entry of (Coloney M/S Mansaluxmi Land Finance Company) is a forged entry and

-9-

the same may be corrected in exercise of the power under section 13/39 and no notice is required as it is duty of the Collector to keep correct revenue record. It was further held that there was no proceeding under section 142, Z.A. & L.R. Act and as such the order dated 2.8.1979 of the Sub Divisional Officer to record the land as Abadi was illegal and further because suit under section 209 Z.A. & L.R. Act was dismissed as such on that basis land can not be directed to be recorded as 'Abadi' after exoungio, the entry of Loojar, Rasta and Jheel. It is pertinent to state that the petitioner was not a party in these proceedings.

11- That respondent no. 4 thereafter filed a Writ Petition challenging the order of the Board of Revenue dated 29.3.96 in the Hon'ble High court of Judicature Allahabad at Lucknow Bench. The Hon'ble High court held that the proceeding under section 13/39 Land Revenue Act is a judicial proceeding as such the order can not be passed without providing opportunity to the parties even if the entry is forged. It was further held that while deciding a reference under section 213 U.P. Land Revenue Act arising out of a proceeding under section 13/39



-10-

Land Revenue Act, the Board of Revenue can not take in to consideration other judgments decided under section 209 U.P. L.A. & L.R. Act in regular side and direct to restore the entry of the disputed land in the name of Gagan Bahadur. Ultimately the matter was remanded to the Sub Divisional Officer Ghaziabad to decide afresh after providing the opportunity to the parties.

12- That on the basis of aforesaid order of the Hon'ble High court a proceeding of case No. 4 of 98-99 State Vs. M/S Bahalaxmi Land Finance Company and others was registered in the court of Sub Divisional Officer Ghaziabad in which parties were given notice to file their objections. On behalf of Nagar Nigam Ghaziabad a detailed objection was filed on 27.1.97 stating the facts stated aforesaid in this writ petition. On behalf of respondent no. 4 objection dated 14.1.97 was filed. The main



of the respondent no. 4 was that after declaration of the land as defined under section 3(14) of the U.P. L.A. & L.R. Act and as such no proceeding could be initiated and is further maintainable under section


32/39 Land Revenue Act. The parties also filed documentary evidence.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-11-


12- That the Trial court mentioned each and every objection raised by the parties in his detailed judgment and made a scrutiny of the evidence on record in accordance with law. Ultimately Sub Divisional Officer Ghaziabad recorded a finding that the entry of 'Atadi' by order dated 8.8.1979 ^{- ban} was made in a judicial proceeding as such it is a legal entry. It was further held that in compliance of aforesaid order the Parwana Amal-darsmaad was sent on 16.8.79 to enter the land in dispute as 'Atadi' only. This order was complied and the entry of 'Atadi' was made in the Khatauni of 1232 to 1238 Fasli. However at a subsequent stage in the Khatauni of 1290-1295 Fasli by mistake and error of the revenue employees which may also be intentional after Atadi (Coloncy w/o Mahalaxmi Land Finance Company (Pvt.) Ltd.) was also added. This further entry which is ~~was~~ if any order of any competent authority is subject matter of dispute and has been challenged with the prayer to be expunged. The Sub Divisional Officer recorded a finding that since original entry was made under section 23/29 Land Revenue Act of 'Atadi' and further it is the duty of the Collector to maintain the revenue records in correct position



-12-

as such any unauthorised or clerical mistake in the revenue record may be corrected under section 22/29, Land Revenue Act. The Sub Divisional Officer Ghaziabad by order dated 15.10.1999 passed an order that the forged and fake entry of (Colony V/S Mahalaxmi Land and Finance Company), which is unauthorised and illegal shall be deleted from the revenue records. A true copy of the judgment and order passed by the Sub Divisional Officer Ghaziabad dated 15.10.99 is enclosed herewith and marked Annexure-3 to this petition.


14- That respondent no. 4 filed a Revision No. 7 of 99/2000 V/S Mahalaxmi Land and Finance Company Vs. Nagar Nigam Ghaziabad under section 215 Land Revenue Act before Additional Commissioner (Administration) Meerut Division Meerut. The main ground taken in revision was that the observations made in the judgment of the Hon'ble High court in Writ Petition No. 1993 of 1996 has not been followed to the effect that the provisions of section 22/29 Land Revenue Act is not applicable and under these provisions even the clerical mistakes can not be corrected. The Additional Commissioner relied upon the following observation of the Hon'ble High court in the judgment dated 20.9.1996 :-



-13-

" The plots which stand recorded as 'Abadi E/S Mahsuzmi Land Finance Company could not be classed as Gaon Sabha property in proceeding under section 22/29 L.R. Act It apparently could not have been ordered by the Learned Member Board of Revenue in a case for correction under section 22/29 Land Revenue Act stipulates correction of errors and not declaration of title ".

15- That the Additional Commissioner further held that the old entry can not be corrected under section 17/29 Land Revenue Act .He further wrongly mentioned that order dated 8.8.79 was passed under section 143 U.P. Z.A. & L.R. Act and after it was recorded as 'Abadi', ceased to ^{be} the land under section 3(14) of the Z.A. Act and as such can not be corrected under section 22/29 L.R. Act. The Revision was allowed by order dated 13.7.2000. A true copy of the order passed by the Additional Commissioner merit in Revision No. 3 of 13.7.2000 is enclosed herewith and Annexure-4 to this petition.



16- That on behalf of the petitioner the order of the Additional Commissioner dated 13.7.2000 was challenged by means of the Revision No. 67 of 2000-2001 before Board

of revenue, Secret Camp Secret. A true copy of the grounds of revision is enclosed herewith and marked as Annexure-5 to this petition.

17. That the Learned Member Board of revenue without considering the grounds raised in the instant revision by order dated 28.11.2001 dismissed the revision only on the ground that an order passed by the Sub Divisional Officer under section 143 U.P.Z.A. & L.R. Act can not be corrected in a summary proceeding under section 13/19 L.R. Act. He further agreed with the order of the Commissioner that since the land is 'abadi' as such it is not covered under the definition of land. A certified copy of the impugned order dated 28.11.2001 passed by respondent no. 1 is enclosed herewith and marked Annexure-6 to this petition.

That the judgment and order passed by respondent no. 1 as well as respondent no. 2 both are illegal, against the provisions of law, in as much as that they have wrongly took into consideration the main order dated 1.5.79 (Annexure-2) passed by the Sub Divisional Officer serialised as if it was passed under section 143 U.P.Z.A. & L.R. Act. A veranda of the

-15-

order dated 2.3.79 itself goes to establish that it was issued under section 23/39 Land Revenue Act and respondent no. 1 committed an error of law apparent on the face of record considering the said order under section 14^a S.P.A. & L.R. Act which provides a regular proceeding.

19- That the order dated 8.8.79 has been passed to record the land in dispute 'Abadi' only. Admittedly there is no order of any revenue authority to record the said disputed land as 'Coloncy M/S Mahaluxmi Land and Finance Company'. In the absence of any such order the entry of M/S Mahaluxmi Land and Finance Company is wholly illegal and was liable to be expunged.

20- That respondent nos. 1 and 2 failed to record any finding in respect of any judicial order by any competent authority to record the name as Coloncy M/S Mahaluxmi Land and Finance Company (Pvt.) Ltd. and as such the said entry is admittedly unauthorised and illegal. To restore the correct entry by order dated 8.8.79 under section 23/39 L.R. Act, the same court may exercised the power to keep the correct entry as 'Abadi' and further direct to expunge



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

-16-

the illegal entry which has been made without any order, by
any authority.

11- That the land which is agricultural or otherwise and
further whether it is covered under the definition of land
or not shall be entered in the revenue records. It is
the duty of the Collector to see that correct entry is
maintained. Limitedly if any entry is forged or unauthorized
having been entered in the revenue record without order of
any revenue authority, the same may be corrected treating
it as clerical mistake in exercise of the power under
section 23/24, Land Revenue Act.

12- That the respondents no. 1 and 2 have not appreciated
the main controversy which has been very specifically mentioned
in the judgment of the Civil Divisional Officer Ghaziabad



dated 15.10.1999 (annexure-2) to the writ petition. The res-
pondent no. 1 further did not consider the grounds raised
in the writ petition and without application of mind and
without recording findings on these issues dismissed
the writ petition on inadequate grounds.

13- That the respondents further failed to consider

-17-

that the property in dispute was abanquidly secured to
 Banjar, 1951 and subject of the laws of abolition of zamindari
 and became the property of Gach Jalia, vide Notification
 dated 1.11.1972 under Section 117(b) of U.P.Z.A. & L.R. Act
 it vested in the petitioner. Petitioner was not made party
 in all the earlier proceedings even in writ petition, he was
 not made a party and after the decision moved application
 for impleadment and the same was rejected. He was permitted to
 participate after fresh proceedings of case no. 4 of 98-99
 in which the earlier decisions are not binding against him.

24- That the judgment and order of respondent nos. 1 and 2
 are wholly illegal, based on wrong assumption that the order
 dated 3.9.72 was passed under section 147 U.P.Z.A. & L.R.

whereas it was an order under section 22/29, Land
 Revenue Act.


That the entry of 'Colonay Mai Mahaloxmi Land and
 Finance Company' is wholly illegal, without any order of any
 court or authority prescribed under law as such was correctly
 directed to be expugned by the Sub Divisional Officer Ghaziabad



-18-

vide order dated 19.10.99(Annexure-3). This order deserves to be maintained.

20- That the petitioner is a local authority .It acts through its employees and in order to file a case before the court of law various steps are required to be taken. In the instant case the order was passed by the respondent no. 1 on 20.11.2001.The record was sent to the standing counsel Nagar Nigam at Allahabad after certified copy was obtained on 2.2.2002. However the standing counsel directed to place before him various judgments connected with this case with effect from 3.8.79 to this date.These judgments were scattered in different files and were lying with earlier counsel engaged by the Nigam.These records were collected through the Jaikumar of the Nigam from different places and also some time was consumed in sending these records to the counsel at Allahabad.On account of these difficulties delay has been caused.As a matter of procedure the petition should be filed within 90 days and on account of facts mentioned above some delay in filing the writ petition is neither interloocal or telebberate ,as such the same may




-17-

be condoned under section 5, Limitation Act.

17- That although a writ petition No. ~~1992~~ ~~00~~ ~~1970~~ arising out of correction of errors case under section 35/35 Land Revenue Act are seldom entertained by the Hon'ble High court but since the present proceedings have been initiated and concluded on the basis of the judgment of the Hon'ble High court dated 20.9.90 and the observations made in the said judgment were relied upon for issuing the revision and respondent no. 2 quoted the observation of the Hon'ble High court, as such it is in the interest of justice that the present petition may kindly be entertained to decide the controversy ^{of} ~~falling~~ which the fraud and forgery in respect of a big property will be permitted to prevail.

18- That in view of the facts and circumstances stated above it is in the interest of justice that this Hon'ble High court may kindly be pleased to stay the operation of the impugned orders dated 20.11.2001 & order passed by respondent no. 1 (Annexure-3) to the writ petition as well as order passed by respondent no. 2 dated 13.7.2000 (Annexure-4) to the writ petition during the pendency of



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-20-

this writ petition, and/or pass any other or further order which is fit and proper under the facts and circumstances of the case.

2y- That the petitioner has no other efficacious or alternative remedy except to file this writ petition under article 226/227, Constitution of India on the following amongst other grounds -

GROUND S

(A) Because, the judgment and order passed by respondent no. 1 as well as respondent no. 2 both are illegal, against the provisions of law in so much as that they have wrongly took in to consideration the main order dated 8.6.79 (Annexure-2) passed by the Sub Divisional Officer Chazidat as if it was passed under section 143 U.P. & L.R. Act. A refusal of the order dated 8.6.79 itself does not establish that it was passed under section 143 U.P. Act and respondent no. 1 committed an error of law on the face of ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ record considering the fact order under section 143, U.P. & L.R. Act which provides a regular proceeding.

(B) Because, the order dated 8.6.79 has been passed

21-

to record the land in dispute 'Abadi' only. Admittedly there is no order of any revenue authority to record the said disputed land as Colony of M/S Bahaluxmi Land and Finance Company in the absence of any such order the entry of M/S Bahaluxmi Land and Finance Company (Pvt.) Ltd. is wholly illegal and was liable to be expunged.

(C) Because respondent nos. 1 and 2 failed to record any finding in respect of any judicial order by any competent authority to record the name as Colony M/S Bahaluxmi Land and Finance Company Limited, and as such the said entry is admittedly unauthorised and illegal. To restore the correct entry by order dated 4.8.79 under section 72/79 L.R. Act the same court may exercised the power to keep the correct entry and void and further direct to expunge the illegal entry which has been made without any order by way of correction.


(D) Because, the land which is agricultural or otherwise and further whether it is covered under the definition of land or not shall be entered in the revenue records. It is the duty of the Collector to see that correct entry is maintained. Admittedly if any entry is forged or unauthorised having been

-22-

entered in the revenue record without order of any Revenue Authority, the same may be corrected treating it as clerical mistake in exercise of the power under section 22/29 Land Revenue Act.

(B) Because the respondent nos. 1 and 2 have not appreciated the main controversy which has been very specifically mentioned in the judgment of the Sub Divisional Officer Ghaziabad dated 15.10.99 (Annexure-3) to the writ petition, the respondent no. 1 further did not consider the grounds raised in the memo of revision and without application of mind and further without receiving findings on those issues dismissed the same on inadequate grounds.

(C) Because the respondents further failed to consider that the property in dispute was admittedly recorded as Banjar, Rasta and Jheel ~~xxxx~~ at the time of abolition of Zamindari and became the property of Deccan State, vide notification dated 1.11.1972 under section 11(1) of S.D.A. & M.A. Act it varied in the ~~petition~~. Petitioner was not made party in all the earlier proceedings. Even in writ petition he was not made a party and



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-12-

after the decision upon application for implementation and the same was rejected, he was permitted to participate after final proceedings of case no. 4 of 90-75 began. Thus the earlier decisions are not binding against him.

(c) Because, the judgment and orders of respondent nos. 1 & 2 are wholly illegal, based on wrong assumption that the order dated 3.8.75 was passed under section 14(2) of the Land Revenue Act; whereas it was an order under section 23/24 of the same Act.

(d) Because, the entry of 'Country' / S Mohaluxal Land and Finance Company (Pvt.) Ltd. is wholly illegal, without any order of any court or authority prescribed under law as such was correctly directed to be removed by the Civil Divisional Officer, Gwalior vide order dated 15.10.99 (Annexure-3). This order deserves to be maintained.



PRAYER

It is, therefore most respectfully prayed that this Hon'ble court may be pleased:

(i) to pass an order or direction or writ in the nature

-24-

of writs and quashing the said judgment and orders
 made by respondent no. 1 dated 25.11.2001 (Annexure-3)
 to the writ petition, and further to quash the order
 dated 17.7.2006 passed by respondent no. 2 (Annexure-4)
 to the writ petition.

- (b) to pass any other order, direction or writ in favour
 of the petitioner which is fit and proper under the
 facts and circumstances of the case.
- (c) to award cost of the petition in favour of the
 petitioner.

P. Chandra
 (P. CHANDRA)

ADVOCATE

COUNSEL FOR THE PETITIONER

FILED 13.3.2007



By
[Signature]

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT AHMEDABAD

APPEAL NO: I

IN

CIVIL DISC. JUR. SECTION NO. CP 2002


DISTRICT: SURAT

THE APPEAL FILED THROUGH MURUGA MAJER ADHIKARI
IS DISMISSED.

DATE:

THE SECR. OF SERVICE, P. (CAND) ...

District Secy and others Respondents



Handwritten signature

1996

12-6-85

25

12

105

IN THE COURT OF THE JUDGE, COURT NO. 6

Writ Petition No. 1993 (195) of 1996

M/s. Maha Lakshmi Land & Finance Company (Private) Limited.

....Petitioner

Vs.

Board of Revenue U.P. Lucknow and others

...Opp. parties.

Hon'ble M.K. Singh, J.


The petitioner by this writ petition has challenged the order dated 29.8.96 passed by the Board of Revenue on a reference dated 12.6.85 under Section 21B of U.P. Land Revenue Act in an action arising under Section 33/39 of Land Revenue Act.

On behalf of opposite parties 1 to 3 the learned Chief Standing Counsel has taken notice and on behalf of opposite party No. 4 Shri R.N. Gupta, Advocate has taken notice.

I have heard the learned counsel of the petitioner and the learned Standing Counsel. Shri R.N. Gupta despite notice is not present.

Since the writ petition raises purely questions of law and it will not serve any useful purpose to keep the writ petition pending I, therefore, with the consent of the learned counsel propose to dispose of the writ petition finally.

A few relevant facts which are necessary for disposal of the writ petition may be stated. That the petitioner was tenantholder of the land in village ... district Ghaziabad, having purchased the same. The petitioner had been given notice under Section 10(2) of the U.P. Imposition of Ceiling on




FOR DATE

[Handwritten signature]

D

..... 2

Land Holdings Act. The case was contested by the petitioner. The Prescribed Authority passed an order dated 31.12.65, by which he declared certain area of the petitioner's land holding as surplus. The State of U.P. preferred appeal (Revenue Appeal No.71 of 1965). The learned Second Additional District Judge, Meerut dismissed the State appeal against petitioner and two other appeals by a common order dated 19 May, 1967. The two orders passed respectively by the Prescribed Authority and the Additional District Judge are annexure No.1 and 2 to the writ petition. Thereafter an action under Section 122-B of U.P. Zamindari and Land Reform Act was commenced against the petitioner on a report of Shami Prabandhak Samiti. The Tehsildar/Assistant collector, Ghaziabad discharged the notice on the ground that the land does not come within the definition of land as given in the U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, hereinafter called the Act. A true copy of the order has been attached as Annexure No.3 to the writ petition. It appears that after the failure of the case under Section 122-B of the Act, a suit for ejectment of the petitioner was filed by the Gaon Sabha under Section 209 of the Act. The petitioner challenged its maintainability. The then S.D.O. by order dated 1. March, 1969 held that the suit under Section 209 of the Act was maintainable and the Court had jurisdiction to try the suit. Aggrieved by the order the petitioner had preferred a revision before the Additional Commissioner, Meerut Division, Meerut. The revision was heard by the learned Additional Commissioner. He came to the conclusion that the suit did not fall within the



Pray


26
106

27

(157)

..... 3

purview of section 200 and was not maintainable in the Revenue Court. He accordingly made a reference to the Board of Revenue at Allahabad. A true copy of the order dated 19.1.71 has been filed as Annexure No.4 to the writ petition. The Board of Revenue by order dated 6.9.75 accepted the reference; allowed the Revision; set aside the order passed by the trial court and held that the writ was not maintainable in the Revenue Court. A true copy of the order dated 3.9.75 passed by the Board of Revenue has been attached as Annexure No.5 to the writ petition. The above mentioned judgment and orders became final. The petitioner thereafter moved an application for entering the disputed land as Abadi in the Revenue records and for remission of Land Revenue. It appears that the application was allowed and accordingly the plots were entered as Abadi in class VI(2) under Land Records Manual. Name of petitioner Mahalakshmi Land and Finance Company was also entered. The entry continued for a few years. Thereafter a case for correction under Section 33/39 of Land Revenue Act was started on a report submitted by the Additional S.D.O., Ghaziabad to A.D.M.(Executive), Ghaziabad. The S.D.O., Ghaziabad held that earlier the entry was of Abadi but in the year 1390-1395 fasli some employee erroneously or deliberately changed the entry "Abadi" to "Abadi-Colony Maha Lakshmi Land and Finance Company." The S.D.O. without any notice to the petitioner, by order dated 23 March, 1985 expunged the entry of the name of the petitioner. The entry was to remain as "Abadi" only.



Beige

U

28


108

The petitioner preferred a revision. The Additional Commissioner, Meerut Division, Meerut by order dated 12.6.85 held that the correction proceedings are judicial in nature and the order passed by the S.D.O. ^{Dr.} suffers from violation of principles of natural justice because no opportunity of hearing was given to the petitioner. The Additional Commissioner accordingly made a reference to the board of Revenue to set aside the order passed by the Sub Divisional Officer, Ghaziabad and remand the case to him to decide it after giving an opportunity of hearing to the petitioner. This limited reference vide an order dated 12.6.85 came up before a learned member of the board of Revenue at Lucknow. The learned Member by the order dated 29.8.96 has rejected the reference on the ground that there is no provision to give any chance of hearing if one ^{is} ~~who~~ is guilty of forgery. The learned Member also held that the judgment in Revision arising out of suit under Section 209 of U.P. Z.A. & L.R. Act is without jurisdiction. The revisional judgment admittedly had also been passed by the board of Revenue. The learned Member proceeded further and held that even the Abadi entry from the records shall be expunged and the land shall be recorded ^{as} it is a Guon Babha property. It is against this order of learned member board of revenue that this writ petition has been filed.



The submissions of the learned counsel are to be considered on purely legal points.

In the light of what has been stated above the questions that arise are (1) as to whether the ^{learned} ~~learned~~ member board of revenue in exercise of power



[Handwritten signature]

D

U

29

1591



.... 0

under Section 213 of U.P. Land Revenue Act in reference proceeding arising out of a motion under Section 33/39 of U.P. Land Revenue Act which are summary in nature could hold the order passed earlier by the Board of Revenue in Revision arising out of proceeding in a suit under Section 209 of the Act, which is on the regular side determining title and the orders passed in ceiling proceedings ¹⁹⁵⁴ without jurisdiction (ii) whether the learned Member was legally justified in holding that even without hearing the petitioner a final order under Section 33/39 of Land Revenue Act could be passed, and (iii) whether the learned Member could under law order the recording of plots entered as abadi in the Gaon Baha khata in a reference.

This Court generally takes a view that against the orders passed in proceedings under Section 33/39 Land Revenue Act it is not for this Court to interfere in exercise of writ jurisdiction because those proceedings are summary in nature and alternative remedy by way of regular suit as provided under Section 40-A of U.P.

Land Revenue Act is available. However, the same cannot be said about the case in hand. This ^{case} presents a different picture where the learned Member,

Board of Revenue ignoring the earlier orders passed on regular side by ceiling authorities and the Board of Revenue has passed an order which not only sets at naught those orders but also decides title without giving an opportunity of hearing. The learned Member could not have gone beyond the jurisdiction that Section 33/39 of U.P. Land Revenue Act provides ^{it is} only to correct clerical errors, and that too after giving



[Handwritten signature]


30

110

.....

an opportunity of hearing. The principles of law cannot be given up or opportunity of hearing denied because the learned Member presumed the petitioner guilty of forgery. But forgery by petitioner has not been spelled out by the learned Member. Even for holding forgery evidence is needed. One cannot be termed a forger on assumptions and presumptions. As such this case, to my mind, is not such, where alternative remedy comes in the way.

Now I take up the first point. Section 33 of U.P. Land Revenue Act in Sub Section (1) provides that Collector shall maintain the record of rights and for that purpose shall annually or at such longer intervals as the State Govt. may prescribe cause to be prepared an amended set of the Registers enumerated in Section 32. The registers so prepared are called annual registers. Sub Section (2) of Section 33 lays down that the Collector shall cause to be recorded in annual registers all changes that may take place and any transaction that may affect any of the rights or interests recorded; and shall therein correct any errors proved to have been made in the record of rights or in any annual register previously prepared. Sub Section (3) being not relevant is omitted. For the purpose of this case Sub Section (2) is relevant. It deals with two matters, viz; the record of changes and for transactions in the annual registers and correction of errors in the record of rights or in the annual registers. More specifically it is so called correction of error in the record of rights. The entry in favour of petitioner as Kandi-Banahalsina Land and Finance



Pepp

U

31


(111)

..... 7

Company was in issue, ^{as} ~~in~~-^{as} ~~question~~. This entry seems to have been made on the basis of the order passed by the board of Revenue after it decided the reference^{as} that arose from a suit under Section 209 of the Act, on petitioner's application for correction of revenue records i.e. entry to Abadi and for exemption of levy of land revenue moved on 30.4.79 (Annexure B.6). Khataani extract of Khata No.822 of 1390 to 95 Fashi of village Paysonda, Pargana Loni, Tahsil and District Ghaziabad (Annexure No.7) shows the entry with thirty four plots, area thirty one Bigha 15 Biswa 6 Biswansi and 13 Kachwansi. The Khataani extract also mentions in Col.7 the extract of order of the S.D.O. passed in case No.17/84-85.

When an entry of the above nature was decided to be corrected on some report of the additional S.D.O. in exercise of powers under Section 33/39 of U.P. Land Revenue Act then the past litigation's orders could not have been ignored by the authorities. It is so said because summary jurisdiction of correction under Section 33/39 of Land Revenue Act is confined to correction of only errors in the record of rights.

The meaning to word errors used in sub Section 2 of Section 33 of the Land Revenue Act cannot be stretched beyond 'clerical errors' or those due to oversight about undisputed claims. It means an error of an obvious nature, particularly a clerical one and not an alleged mistake involving a long drawn out dispute about rights. It ~~connotes~~ ^{connotes} a case where there is no real dispute between the parties and the only question is whether any



[Handwritten signature]

32

112

.... 5



accidental or clerical error was made in the previously prepared register.

The nature of jurisdiction exercised by the original court of S.D.O. or Commissioner or Board of Revenue in a correction case under Section 33/35 of Land Revenue Act remains the same notwithstanding the change in stature of the court.

Here the learned Member Board of Revenue has clearly transgressed on the limited jurisdiction that he could have exercised in a reference made by the Additional Commissioner. The reference under Section 218 of U.P. Land Revenue Act was to cancel the order dated 23.3.95 passed by the S.D.O. and remand the case to S.D.O. for deciding it after giving opportunity of hearing to the petitioner.

The learned Member of Board of Revenue instead of accepting the reference has held it to be misconceived. No reasons have been assigned for holding the reference as misconceived. The learned Member has even held the previous order dated 6.9.75 of Board of Revenue on a suit under Section 209 of the act as without jurisdiction. It is clearly an act of judicial impropriety.

If the same court would start holding its previous judgments and orders as non est or without jurisdiction then it would clearly lead to judicial anarchy. The learned Member should have shown the same respect to the previous order passed by his predecessor, which it is expected, his successor in office would show to his judgment and orders. Then the learned Member should have remembered that the reference before him, was



Boopa

... 9 ...

33
113


From an order passed in proceeding on a motion of summary nature under Section 33/39 Land Revenue Act where all orders passed on regular side of dispute will have overriding effect. Thus the learned Member has clearly overstepped his jurisdiction in holding the order dated 6.9.75 passed by his equal in office as without jurisdiction.

The second point is the essence of the reference order passed by the Additional Commissioner, Meerut Division, Meerut. It is about the opportunity of hearing to a person against whose interest an order, may be of correction of record of rights, is to be passed.

I deem it necessary to clarify that proceeding for correction of entry in the record of right i.e. Khatauni is "judicial proceeding". This being the legal position it is revolting to think that authorities exercising power in a proceeding of judicial nature can pass an order affecting the right of a party without giving him an opportunity of hearing.

The law in this direction has been more than settled by this Court and the Apex Court of this country where it has been held that even in administrative action which is likely to affect a party, opportunity hearing is a must. The learned Member Board of Revenue has in this regard taken a different stand and by using one word "misconceived" has rejected the reference made by the Additional Commissioner. In law one word order is never found sufficient to justify the result.

From a perusal of the impugned order passed by the learned Member board of revenue what I found as his



[Handwritten signature]


34

114

.....10.....

reason for not giving any opportunity to petitioner is contained in one sentence. I quote it. "There is no provision to give chance of hearing if one who is guilty of forgery". The learned Member by this sentence has not only made the petitioner "an accused" but he has also held him "guilty". This conclusion of the learned Member is not legally justifiable by any judicial tenets. The approach is wholly feudalistic. By no stretch of judicial consideration can a person be held guilty without evidence and it should not be forgotten that to hold anyone guilty of any act of omission or commission evidence is necessary and so is the opportunity of hearing. Then it is a big question as to how the petitioner is guilty of forgery. It is not said by the learned Member that the petitioner had any role in preparation or maintenance of record of right. It is common knowledge that under Land Records Manual, the Lekhpal is responsible for preparation of record of right or annual registers. He is also keeper of the record of right. Then how could the petitioner be termed a forgerer without any evidence. So the learned Member's view that no opportunity of hearing was necessary to the petitioner can not be upheld.

That leaves the last question. The plots which stand recorded as Abadi - Mahalakhshai Land and Finance Company could not be classed as Gaon Sabha property in proceedings under Section 33/39 of U.P. Land Revenue Act. It is not anybody's case that the plots should be entered as Gaon Sabha property. It apparently could not have been ordered by the learned Member Board of



[Handwritten signature]

35



(1/5)

.... 11

Revenue in a case for correction under Section 33/39 of Land Revenue Act for clearly the Section 33 stipulates correction of errors and not declaration of title. I have in earlier part of my judgment briefly pointed out the nature of correction that is possible under Section 33/39 of the Land Revenue Act. Again it needs emphasis, ^{Act 11-1} ~~as to~~ whether the change of stature of the Court enhances the jurisdiction conferred by a provision of law. The answer is an emphatic -No. The Board of Revenue simply because of its stature as a higher court cannot exceed the jurisdiction that has been conferred by the Land Revenue Act. Here the board of Revenue appears to have run roughshod over the limits of jurisdiction conferred on it by the provisions of Section 33/39 of Land Revenue Act and declared the land entered as Abadi - Mahalakhmi Land and Finance Company as the property of Gaon Sabha. But curiously the name of the Gaon Sabha is omitted. This kind of jurisdiction was not vested in the Board of Revenue.

Lastly I deem it necessary to dwell briefly on the scope of jurisdiction of board of Revenue in a reference under Section 218 of U.P. Land Revenue Act.

The Reference under Section 218 of U.P. Land Revenue Act can be made by the Commissioner, Additional Commissioner, the Collector etc. to the Board of Revenue if he is of the opinion that the proceeding taken or order passed by such subordinate Officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with reasons thereon for orders of the Board and the Board shall thereupon pass such orders as it thinks fit.



[Handwritten signature]

D

(116) 36

... 12

The words 'pass such orders as it thinks fit' cannot be read in isolation to mean that board gets jurisdiction to pass "any order". The board in reference will pass order either accepting the opinion of the Commissioner or Additional Commissioner or disagreeing with his opinion reject the reference. But the Board of Revenue will not assume jurisdiction to pass an order which is beyond the scope of the sections under which the proceedings had been commenced.


Finally as stated at the outset this court seldom interferes in orders passed in proceedings of summary nature. This case, however, is an exception. It is a rare case where I notice that Board of Revenue has over-reached its jurisdiction. It is, therefore, a fit case where order of the board of Revenue deserves to be quashed.

I accordingly allow the writ petition, quash the order dated 29.8.96 passed by the board of Revenue in Reference No.409 (LR) 84 ^{and the S.D.O. Ghaziabad dated 23.3.96.} The Entry shall be maintained. The S.D.O., Ghaziabad may decide the case of correction under Section 33/39 U.P. Land Revenue Act in the light of observations made above about the scope of Section 33 of U.P. Land Revenue Act and then he shall give opportunity of hearing to the petitioner.

No costs.

30.9.96.

Handwritten: B.K. Singh
22/10/96
30-9-96



Section Office Circuit Department Civil Court Lucknow 226001	Mohan Ma Advocate 226001 Lucknow U.P.
Date: 30/9/96	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO: 2

IN


CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2002

DISTRICT: GHAZIABAD

Nagar Nigam Ghaziabad through Mukhya Nagar Adhikari
Nagar Nigam Ghaziabad.Petitioner

VERSUS

The Board of Revenue, U.P. (Camp Meerut)
District Meerut and others Respondents



[Handwritten signature]

37

ANNEXURE NO. (2)

Mahalaxmi Land & Finance Co. Pvt. Ltd.

V/s.

G.S. Pasonda


U/s 33/39 L.R. Act.

ORDER

This application has been moved by M/s.

Mahalaxmi Land and Finance Pvt. Ltd. alleging that the land- details of which are given in the application measuring 32 bighas 15 biswas 4 biswanc is of village Pasonda be recorded as ' abadi' as it has ceased to be 'land' within the definition of land as held by the Hon'ble Board of Revenue and is abadi on spot.

Notice was issued to Gaon Sabha and State. The D.C.C.(R) filed objections stating that the application is not maintainable and the land in question is Gaon Sabha land. The applicant requisitioned the case- G.S. Pasonda Vs. Mahalaxmi Land & Finance Co. Ltd. The State/G.S. did not file any evidence.



A handwritten signature or set of initials, possibly 'G.S.', written in dark ink.

39

-3-

had no jurisdiction to entertain the suit. The Hon'ble Board of Revenue, vide its order dated 8.9.1976 agreed with the contention of the Commissioner and held that the area in question ceased to be 'land' and dismissed the suit of Gaon Sabha.

The applicants, therefore moved the Court of learned predecessor for the amendment of the orders of Hon'ble Board of Revenue for being recorded the area as 'abadi' in place of present entries. By learned predecessor passed an order on 31.8.77 directing the amaldar accordingly. Unfortunately this order was not implemented in records. Hence the applicants have moved this fresh application.

I directed the Gaon Sabha to be made a party. The learned D.G.C.(R) appeared on behalf of G.S. He has agreed that there is no dispute to facts above. He has no objection to land being recorded as 'abadi' as the Highest Revenue Court of the State and held so. But his argument is that the name of the applicant cannot be entered on the land. In revenue records no



40

-4-

no entry of any name is made as abadi land. Thus the land be entered as 'abadi' the only consequence is that the area is governed by personal law and jurisdiction of Revenue Law is excluded. The H'ble Board of Revenue has already held that Revenue Courts have no jurisdiction on this area. In view of these findings the area has rightly to be recorded as 'abadi' in revenue records. It is unfortunate that the order of my Md. predecessor was not complied by the office so far.

It is hereby ordered that the present entry of banjar etc. in respect of following plots will be expunged and the entire area will be recorded as 'ABADI' in land records.

Let parwana amal dramad issue accordingly in terms of the judgement of H'ble Board of Revenue dated 6.9.1976 and S.E.O. dated 31.3.77;

Sd/- S.D.O. Ghaziabad
8.8.79

Plot Nos. & area

863	0-6-0	1557	0-8-14	1629	0-8-0
946/1	0-7-0	1564	3-16-0	1630	0-4-0
950	0-11-0	1565	2-6-0	1631	0-3-0
1292/2	3-13-5	1577	0-6-0	1632	0-3-0
1363	0-10-0	1604/1	0-3-0	1642	0-0-14
1373	0-5-0	1605	0-3-0	1666	0-12-0
1516	0-3-0	1606	0-1-17	1692	1-3-12
1447	2-16-0	1607	0-12-15-13	1693	0-04-0
1527	0-10-0	1610/1	0-3-0	1078	0-3-0
1536/2	0-7-0	1614	0-10-0	1088/3	2-17-13
		1619	1-2-0	1081	4-0-10
		1621	1-18-0	1725/1	5-7-0
		1628	0-0-18		

Sd/- S.D.O. Ghaziabad

8.8.79

[Handwritten signature]

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO: 3

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2002

DISTRICT: GHAZIABAD

Nagar Nigam Ghaziabad through Mukhya Nagar Adhikari
Nagar Nigam Ghaziabad.Petitioner

VERSUS

The Board of Revenue, U.P. (Camp Meerut)
District Meerut and others Respondents



[Handwritten signature]

न्यायालय परमनाधिकारी गाजियाबाद

29/10/99


41

न्यायालय परमनाधिकारी / महानगर मजिस्ट्रेट सुप्रभात कौशिक गाजियाबाद ।
कार क्रिया 4/98-99
ग्राम परामंडल / अग्रणी व जिला गाजियाबाद ।
महानगर / अग्रणी व जिला गाजियाबाद ।
महानगर / अग्रणी व जिला गाजियाबाद ।

Lower Courts
15.10.99

पत्रावली प्राप्त हुई । प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय
दलाहाबाद में योजित पाठिका मिला 1993/1996 मेसर्स महालक्ष्मी लेन्ड
एन्ड फार्मिन्स कंपनी प्रा० लि०, बनाम राजस्व परिषद 3090 लखनऊ व अन्य
में पारित आदेश दिनांक 30-9-96 के अर्धीन इस न्यायालय में योजित किया
गया । माननीय उच्च न्यायालय में पानी पक्ष द्वारा पाठिका योजित की
गई थी तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30-9-96 को जो
आदेश पारित किये गये उसके द्वारा परमनाधिकारी गाजियाबाद को निर्देशित
किया गया कि वे प्रकरण के सन्दर्भ में वाद अंतर्गत धारा 33/39 मु-राजस्व
अधिनियम न्यायालय में योजित करें तथा धारा 31 3090 मु-राजस्व अधि-
नियम के प्राविधानों तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के
अनुपालन में वाद का निरन्तरण करें । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी
निर्देशित किया गया कि पानी पक्ष को प्रस्तुत वाद में मुनवाई का अवसर
प्रदान किया जाये ।

उक्त आदेश के अर्धीन इस न्यायालय में सरकार अग्रणी मेसर्स महालक्ष्मी
लेन्ड एन्ड फार्मिन्स कंपनी अंतर्गत धारा 33/39 मु-राजस्व अधिनियम
योजित किया गया तथा प्रस्तुत वाद में सरकार/अग्रणी नियम गाजियाबाद
तथा पानी पक्ष को मुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया । प्रस्तुत वाद
में नगर नियम गाजियाबाद की ओर से दिनांक 27-1-97 को आपत्ति
प्रस्तुत की गई । इस आपत्ति में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि प्रतिपक्षी ने
चिवाचित ग्राम भाग भूमि, खंजर, रास्ता, सील आदि को आबादी दर्ज
करते हेतु आवेदन किया गया था तथा इस आवेदन को तत्कालीन परमना
धिकारी गाजियाबाद ने अपने आदेश दिनांक 0-9-79 के द्वारा रद्दीकार
किया था । इस घुम में ग्राम परामंडल की सतोंनी 1384 40 ता 1389
में आबादी अंकित हुई परन्तु 1390 40 ता 1395 40 की नई सतोंनी
द्वारा करते समय आबादी की प्रविष्टि के बाद पत्र अनाधिकृत प्रविष्टि
"महालक्ष्मी लेन्ड एन्ड फार्मिन्स कंपनी" अदा दी गई । नगर
नियम की आपत्ति के अनुसार यह प्रविष्टि के सन्दर्भ में उन्हें आपत्ति है ।
नगर नियम द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में यह भी उल्लेख किया गया कि तत्कालीन
लेखाक ने बिना किसी छद्म न्यायालय के आदेश के जालसाजी से उक्त
प्रविष्टि अंकित की तथा इसका उद्देश्य कोलोनादर द्वारा उक्त भूमि को
खुदने का था । इसी आपत्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष
1985 में शिक्षा प्रसन्न होने पर तत्कालीन परमनाधिकारी द्वारा पाठिका
आदेश दिनांक 23-3-85 को उक्त पक्षी प्रविष्टि पुनः की गई जिसे मुख्य
कोष प्रविष्टि द्वारा माननीय अग्रणी मेसर्स लेन्ड एन्ड फार्मिन्स
नियमानी योजित की गई । इसके उपरान्त माननीय राजस्व परिषद के सभ
प्रस्ताव मुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ तथा माननीय राजस्व परिषद द्वारा दिनांक
26-8-96 को आदेश पारित किये गये । इस आदेश में महानगर रद्दीकार किया
गया तथा चिवाचित संपत्ति के सन्दर्भ में यह आदेश पारित किये गये कि
राजस्व अधिकारों में चिवाचित प्रविष्टि पुनः की जाये एवं चिवाचित संपत्ति
को ग्राम भाग के रूप में अंकित किया जाये । माननीय राजस्व परिषद द्वारा
पारित आदेश में मुख्य कोष प्रविष्टि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के




Signature

43

- 3 -

नहीं होते हैं। इस क्रम में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सूतौनी में
 में महालक्ष्मी लैन्ड एन्ड फार्मिनेस कम्पनी प्रा० लि० की जो प्रविष्टि अंकित
 की गई वह पूर्णतः न्यायिक के एवं तथ्यों व विधिक प्रावधानों के विपरीत
 है। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध किया गया कि
 प्रतिपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तथ्यों का जिस प्रकार
 प्रस्तुतीकरण किया गया वह गलत था। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के
 समक्ष यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि न्यायिक प्रावधानों के अधीन आबादी
 के नाम किसी भी व्यक्तिगत पक्षधर का नाम किसी रूप में अंकित नहीं
 किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध
 किया कि तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा जो आदेश दिनांक 23-3-82
 को पारित किया गया वह विधिक रूप से मान्य है एवं उक्त आदेश के क्रम में
 राजस्व अभिलेखों में आबादी के आगे जो प्रविष्टि की गई है वह पृष्ठी की
 जाये।

प्रतिपक्षी / महालक्ष्मी लैन्ड एन्ड फार्मिनेस कम्पनी प्रा० लि०
 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह उल्लेख किया कि मूलतः जो
 प्रविष्टि हुई है वह ग्राम पसोन्डा तहसील गाजियाबाद की सूतौनी वर
 1300 ग० वा 1305 ग० वर्ष में अंकित छात्र में उल्लिखित विभिन्न तमरा
 नगरान 34 जिफा कुल खन्डा 31-15-6-13 है। विद्वान अधिवक्ता के
 अनुसार दिनांक 23-3-82 को जो आदेश पारित किया गया वह विधिक
 प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि पूर्व में विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में
 जिले में न्यायिक आदेश पारित किये जो उन सभी के अन्तर्गत यह अन्तिम
 रूप से मान लिया गया है कि विवादित सम्पत्ति का स्वरूप आबादी का
 है तथा राजस्व अभिलेखों में आबादी के सम्बन्ध में जो प्रविष्टि तत्कालीन
 परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 0-8-79 को की गई वह एक न्यायिक
 आदेश के अधीन की गई है। इस क्रम में प्रथमतः भूमि का प्रस्थापन अन्तर्गत धारा
 -143 भी आवलम्ब नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह भी
 उल्लेख किया कि विवादित सम्पत्ति 20000 भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा इस
 सम्पत्ति पर 1962 में शाहीगार मार्टन वाग्स कार्लोनी स्थापित की गई थी
 प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन
 भूमि प्रबन्धन समिति पसोन्डा की ओर से एक कार्यवाही अन्तर्गत धारा
 122-डी ए०१००००००० तत्कालीन तहसीलदार गाजियाबाद के न्यायालय
 में पंजीजित की गई तथा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक
 6-1-67 को पंजीजित वाद में नोटिस अन्वेषित धारा 49-क वापस लिया गया
 था। इस क्रम में यह भी तथ्य प्रस्तुत हुआ कि भूमि प्रबन्धन समिति पसोन्डा
 द्वारा मध्य न्यायालय के समक्ष एक हेतुवली का वाद अन्तर्गत धारा 209
 ए०१०००००००० में पंजीजित हुआ था तथा इस वाद में दिनांक 14-3-69 को
 यह आदेश पारित हुआ कि विवादित सम्पत्ति वृषि भूमि की परिधि में
 नहीं है अतः देवानी का वाद विरत हो जाये। विद्वान अधिवक्ता ने अपने
 तर्कों में यह तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 23-3-82 को तत्कालीन पीठासीन
 अधिकारी / प्रतिपक्षी द्वारा जो आदेश पारित किया गया वह एक
 पक्षीय रूप में पारित किया गया एवं उक्त आदेश न्यायालय के क्षेत्राधिकार
 की परिधि में पारित नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि
 अन्तर्गत धारा 143 के अन्तर्गत प्रविष्टि के प्रावधानों के अधीन लिपिबद्ध
 आदेश के सम्बन्ध में राजस्व आदि दस्तावेजों आदेश हो सकते हैं एवं
 आबादी के आगे जो इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार विरत नहीं है।



Page

-7-

47

दरमि जाजोनी गजालगी लेन्ड एन्ड फाईनेन्स कम्पनी का नाम पृच्छ किया गया है । अर्थात् की यह पृच्छि मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम गा0बाद एवं नगरी लहरार गाजियाबाद को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । न्यायालय की पक्षकारी कार्य लावण्य पृच्छि अभिलेखागार में संचित हो ।

दिनांक :- 15-10-1999

K. Chandra

§ कोशल चन्द्र §, 15.10.99.

परगनाधिकारी गाजियाबाद / सहायक सेक्टर § प्रथम प्रेमी § गाजियाबाद

अर्थात् नगर न्यायालय में दिनांकित नर मुझे न्यायालय में सुनाया गया


दिनांक :- 15-10-1999

K. Chandra

§ कोशल चन्द्र §, 15.10.99.

परगनाधिकारी गाजियाबाद / सहायक सेक्टर § प्रथम प्रेमी § गाजियाबाद

Pyx



संकेत नं०-१३

न्यायालय परगनाधिकारी/ सहायक सहायक कोर्टरूप में श्री गान्ध्याबाद
वाद संख्या 4/98-99 धारा-33/39 राजपूर एच

ग्राम मत्तौडा परगना जोनी तहसील व जिला गान्ध्याबाद।

सरकार बनाम मे० महाश्वमी लेन्ड एण्ड फार्मिंग

उच्च निर्णय

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद में दायर की गई संख्या 1993/1995 मेतर्त महाश्वमी लेण्ड
एण्ड फार्मिंग कम्पनी प्रा० लि० बनाम राजस्व परिसर 3090 लखनऊ व अन्य ।
में पारित्तादेश दिनांक 30.9.95 के अधीन इस न्यायालय में दायर किया
गया। माननीय उच्च न्यायालय में याची पक्ष द्वारा याची पक्ष दायर
की गई थी तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.9.95
को को आदेश पारित करने में उक्त द्वारा परगनाधिकारी गान्ध्याबाद
को निर्देशित किया गया कि वे प्रकरण के सम्बन्ध में वाद अन्तर्गत धारा
33/39 म-राजस्व अधिनियम न्यायालय में दायर करे तथा धारा 33
3090 म-राजस्व अधिनियम के प्रावधान में तथा माननीय न्यायालय
द्वारा पारित्तादेशों के अनुसंधान में वाद का निस्तारण करे। माननीय
उच्च न्यायालय द्वारा याची पक्ष को निर्देशित किया गया कि याची पक्ष को प्रस्तुत
वाद में सुनवाई का अवसर प्रदत्त किया जाये।

उक्त आदेश के अधीन इस न्यायालय में सरकार बनाम

मेतर्त महाश्वमी लेण्ड एण्ड फार्मिंग कम्पनी अन्तर्गत धारा 33/39

म-राजस्व अधिनियम दायर किया गया तथा प्रस्तुत वाद में सरकार

- 2 -

नगर निगम गाँवबाबाद तथा वापी पक्ष की सुनवाई का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। प्रस्तुत वाद में नगर निगम गाँवबाबाद की ओर से दिनांक 27.1.97 को आपीत्त प्रस्तुत की गयी। इस आपीत्त में यह कथ्य प्रस्तुत किया गया कि श्रीतमही ने विवाहित ग्राम तथा भूमि, पंजर रास्ता, झील आदि को आबादी दर्ज करने हेतु आर्पेदन किया गया था तथा इस आर्पेदन को तत्कालीन परगना अधिकारी गाँवबाबाद ने अपने आदेश दिनांक B.B.79 के द्वारा स्वीकार किया था। इस क्रम में ग्राम परीन्डा की खतौनी 1384 फा ता 1389 फा में आबादी की तालिका परन्तु 1390 फा ता 1395 फा की तालिका तैयार करते समय आबादी की प्रीवीडिट को ध्यान रखना विधुत प्रीवीडिट कालोनी महाकर्मिण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनि " बना दी गयी। नगर निगम की आपीत्त के अनुसार इस प्रीवीडिट के संबंध में उन्हें आपीत्त है नगर निगम द्वारा प्रस्तुत आपीत्त में यह भी उल्लेख किया गया कि तत्कालीन लेखापाल ने बिना किसी तक्षम न्यायालय के आदेश के कालताजी से उक्त प्रीवीडिट अंशुली तथा इसका उद्देश्य कोलोनाइजर द्वारा उक्त भूमि को खड़ाने का था। इसी आपीत्त में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1985 में प्रकाशित प्रस्तुत होने पर तत्कालीन परगना अधिकारी द्वारा जारी आपीत्त आदेश दिनांक 23.3.85 द्वारा उक्त फर्की प्रीवीडिट प्रयत्न की गई जिससे सुबध होकर प्रीतक्षी द्वारा माननीय आयुक्त मेरठ एण्डल मेरठ के न्यायालय में निगरानी चर्चित की गयी। इसके उपरांत माननीय राजस्व परीक्षक के तमक्ष तन्दर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ तथा

- 3 -

माननीय राजस्व परिषद द्वारा दिनांक 29.3.95 को आदेश पारित किये गये। इस आदेश में संदी अस्वीकार किया गया तथा विवाहित सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह आदेश पारित किये गये कि राजस्व अधिकारियों में विवाहित प्रीक्वॉस्ट प्रथम की जाये एवं विवाहित सम्पत्ति को ग्रामस्था के रूप में अंकित किया जाये। माननीय राजस्व परिषद द्वारा पारित आदेश से हृदय कोज प्रीक्वॉस्टी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 1993/1996 में सर्वोच्च न्यायाधीश एण्ड फाइनल जज की प्रार्थना बनाम राजस्व परिषद 3090 कलकत्ता व अन्य योजित की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.8.96 को माननीय राजस्व परिषद द्वारा पारित आदेश अनुरस्त किया गया तथा इस न्यायालय को निर्देश दिये गये कि न्यायालय में पाद योजित करके मान्यता प्राप्त की दृष्टि की कार्यवाही की जाये। नगर निगम गार्डियावादादाराको आपीत्त दिनांक 27.1.97 को प्रस्तुत की गयी है जसमें यह अनुरोध किया गया है कि अनधिकृत प्रीक्वॉस्टियों को अनुरस्त करके दिनांक 8.8.99 से पूर्व की प्रीक्वॉस्टी का की जाये।

प्रस्तुत वाद में प्रीक्वॉस्टी को भी चुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.95 को प्रीक्वॉस्टी को नोटिस निर्गत किया गया कि वे प्रस्तुत वादों अपना पक्ष रखकर चुनवाई सादर तैयार प्रस्तुत करें। इस नोटिस के प्रति उत्तर में प्रीक्वॉस्टी के विज्ञान अधिकाता द्वारा दिनांक 19.1.97 को आपीत्त भी प्रस्तुत की गई। इस आपीत्त में मूल आधार यह उल्लेखित किया गया कि प्रस्तुत वाद

- 4 -

में धारा 38/39 भू-राजस्व अधिनियम के प्राविधानप्रभावी नहीं है क्योंकि सम्बन्धित प्राविधान केवल कृषि प्रिम के सम्बन्ध में प्रभावी होते हैं तथा जो प्राविष्ट राजस्व अधिलेखों में अंकित है वह प्रस्तुत वाद में दूरस्त नहीं हो सकती। प्रितपही की ओर से प्रस्तुत आपीरत में यह उल्लेख किया गया है कि धारा 38/39 भू-राजस्व अधिनियम के प्राविधान केवल उसी समय प्रभावी होते हैं जबकि अधिलेखों में लिपिकीय अथवा नॉनलीय ड्रिट परिलीत हो। इस आपीरत में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राजस्व अधिलेखों में अंकित प्राविष्ट पूर्णतः लिपिकीय तथा उसमें लिखी प्रकार काहस्तलेख विधानमूल रूप में प्राविधानों के विवरीत है। अपनी आपीरत के समर्थनमें प्रितपही के विधान अधिवक्ता द्वारा अपने साह्य आदि की प्रस्तुत किये गये। इसीप्रकार नगर निगम गार्गीबाबाद द्वारा भी अपनी आपीरत के समर्थन में अपने अधिलेखीय साह्य आदि दाखिल किये गये।

प्रस्तुत वादमें उभय पक्षों के विधान अधिवक्ताओं द्वारा अपने-2 तर्क प्रस्तुत किये गये। नगर निगम गार्गीबाबाद के विधान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में दिनांक 27.1.97 को दाखिल आपीरत में उल्लेखित विन्दुओं का उल्लेख किया गया। विधान अधिवक्ता के अनुसार रेलीनी की 1390 काली 1495 फी के सात से 926 वर्तमान काली 1405 फी ता 1410 फी के सात से 1550 में केलात द्वारा अनारिधप्रकार से आबादा के आगे कालीनी मटाकहमी क्रेण्ड एण्ड फाइनैन्स कम्पनी प्राविष्ट दाखिल किया गया। विधान अधिवक्ता के अनुसार कालीनी दात समीरत का रकबा

-5-

31.15.8.13 बीछा है तथा मूलतः विवाहित सम्पत्ति ग्राम सभा की सम्पत्ति थी। विधान अधिकांश ने अपने कर्तों में यह ध्यान प्रस्तुत किया है कि दिनांक 31.8.79 को तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा एक आदेश जारी किया गया जिसके अधीन विवाहित सम्पत्ति आजादी के रूप में घोषित की गई। नगर निगम के विधान अधिकांश के अनुसार तत्कालीन परगनाधिकारी का यह आदेश विना किसी वैधानिक अधिकारके जारी किया गया तथा जब यह आदेश जारी तब तो उस समय नगर निगम अधिकांश जोई ग्रांटियाबाद को सन्वर्धन का अवसर प्रदान नहीं किया गया। विधान अधिकांश ने अपने ध्यान में इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि मूलतः विवाहित सम्पत्ति नगर निगम की सम्पत्ति है एवं इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा 210 उपरोक्त विधान के प्रावधान लागू होते हैं एवं किसी भी प्रकार को नगर निगम की किसी भी सम्पत्ति पर किसी प्रकारके कोई अधिकार प्रोक्त नहीं होते हैं। इस क्रम में यह भी कर्त प्रस्तुत किया गया कि खतौनी में गैर महाजदमी ऐण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी प्रायमरी लाडी जो प्रायमरी अधिकारी की गयी वह पूर्णतः वैधानिक है एवं कर्तों व किसी प्रकारके प्रावधानों के विपरीत है। विधान अधिकांश ने न्यायालयके सम्बन्ध अन्तर्गत किया गया कि प्रावधानों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कर्तों का विपरीत प्रस्तुतीकरण किया गया वह गलत था। विधान अधिकांश ने न्यायालय के समक्ष यह कर्त प्रस्तुत किया कि वैधानिक प्रावधानों के अधीन आजादी के साथ किसी भी व्यक्ति को फाइनेन्स का नामिकर्तों का

-6-

में अंकित नहीं किया जा सकता है। विधान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध किया कि तत्कालीन परगनाधीनारी द्वारा जो आदेश दिनांक 23.3.85 को पारित किया गया वह विधिक रूप से मान्य है एवं उक्त आदेश के क्रम में राजस्व अभिलेखों से आबादी के आगे जो प्रीवीजट की गई है वह पृथक की जाये।

प्रीवीजट/पेरस महात्मनी लेण्ड रण्ड फाइनेन्स कम्पनी प्रा. लि. के विधान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह उल्लेख किया कि मूलतः जो प्रीवीजट हुई है वह ग्राम पत्तौन्डातहसील गाजीयाबाद की मलौनी कर्सी 1390 क्र. ता. 1395 फा.वर्ज में अंकित छाता में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के नम्बरान 34 जिसका कुल रकबा 84*45*43*84 31.15.5.13 है। विधान अधिवक्ता के अनुसार दिनांक 23.3.85 को जो आदेश पारित किया गया वह विधिक प्रावधानों के विपरीत है क्योंकि पूर्व में विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में जितने भी न्यायिक आदेश पारित किये गये उन सभी के अन्तर्गत यह अन्तम रूप से मान लिया गया है कि विवादित सम्पत्ति का स्वरूप आबादी का है तथा राजस्व अभिलेखों में आबादी के सम्बन्ध में जो प्रीवीजट तत्कालीन परगनाधीनारी के आदेश दिनांक 8.8.79 को की गई वह एक न्यायिक आदेश के अधीन की गयी है। इस क्रम में प्रथमतः कृषि का प्रह्वयान अन्तर्गत धारा -143 भी आवश्यक नहीं है। विधान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह भी उल्लेख किया कि विवादित सम्पत्ति के 1050 भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा इस सम्पत्ति पर 1962 में शाहीमार

-7-

मार्डन नामक काकोनी स्वामिपत कीर्ण थी प्रतीक्षी के विधान अधिकाता
 द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन भूमि प्रबन्धक सीमित परसौन्डा
 की ओर से एक कार्यवाही अन्तर्गत धारा 122-जी उ०१० न० १०३० तत्-
 कालीन तदधीनदार माणिकवाबाद के न्यायालय में योजित की गयी तथा
 तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक ६.१.६७ को योजित बाद
 में नोटिस अन्तर्गत धारा ११७-क वाद प्रस्तुत किया गया था। इस क्रम में यह
 भी तथ्य प्रस्तुत हुआ कि भूमि प्रबन्धक सीमित परसौन्डा द्वारा तक्षम
 न्यायालयके समक्ष एक वेदखाने का वाद अन्तर्गत धारा २०१ उ०१० न० १०३०
 भी योजित हुआ था तथा इस वादमें दिनांक १४.३.६९ को यह आदेश
 पारित हुआ है कि विषयवस्तु सम्पत्ति जिन भूमि की परीक्षा में नहीं है
 अतः वेदखाने का वादी नरस्त हुआ था। विधान अधिकाता ने अपने
 तर्कों में यह कथन प्रस्तुत किया कि दिनांक २३.३.६५ को तत्कालीन
 पीठासीन अधिकारी / परगनाधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया
 गया वह एक फलीय रूप में पारित किया गया एवं उक्त आदेश न्यायालय
 के हेमराधिकार की परीक्षा में नहीं था। विधान अधिकाता ने यह तर्क
 प्रस्तुत किया कि अन्तर्गत धारा ३३/३९ भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों
 के अधीन नीतिपकीय दृष्टि के संघ में जायजात मात दूरस्ती संघी
 आदेश ने लगे है। एवं आवादी के संघ में इस न्यायालय का हेमराधिकार
 विहित नहीं है। विधान अधिकाता ने स्पष्ट रूप से न्यायालय का
 दवान इस ओर आकृष्ट किया कि राजस्व अधिनियम में जो प्रावधान
 वर्तमान में है उसे "भूमि" की परीक्षा में स्वीकार नहीं किया जा

- 8 -

संज्ञा है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन प्रीवीट्ट यथावत अंतरणार्थ उचित है। इस क्रम में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नगर निगम की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में एक पूर्ण स्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं यह प्रार्थना पत्र निरस्त हुआ था। विधान अधिकायता ने यह भी कथन प्रस्तुत किया कि नगर निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका दायित्व की गयी थी परन्तु उन्हें कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ। इस क्रम में यह भी तर्क प्रस्तुत हुआ कि विधायित्व सम्पीट के संघ में विहित न्यायालय में एक निष्केधाता वाद रखा गया है तथा इस वाद में प्रतिक्रिया के रूप में आदेश जारी हो रहा है। विधान अधिकायता के अनुसार प्रस्तुत कार्यवाही में विधायित्व सम्पीट के स्वरूप अथवा कठोर का प्रश्न विचारणीय नहीं है। एवं प्रस्तुत सम्पीट आदेशों के रूप में भी है अतः जो आदेश विधायित्व सम्पीट को पारित किया गया वह पूर्णतः वैधानिक है तथा उसे निरस्त भी किया जा सकता है। प्रतिक्रिया के विधान अधिकायता ने स्थापना के अंतर्गत किया गया प्रस्तुत वाद में प्रीवीट्ट को प्रकाश करने का ध्यान रखते हुए न्यायालय में निवेदन नहीं है एवं प्रस्तुत वाद निरस्त होने योग्य है तथा राजस्व अधिकायता में अंतर प्रीवीट्ट यथावत अंतरणार्थ को कार्य में

प्रस्तुत वाद में 2010 सरकार की ओर से विधान विधान माननीय अधिकायता द्वारा अपने तर्कों में कया अंतरणार्थ वाद में पूर्णतः

- 9 -

सम्पत्त सार्वजनिक प्रयोग की भूमि है तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही राजस्व न्यायालय के स्तर से अपेक्षा नहीं थी।

विधान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि सार्वजनिक प्रयोग की वित्त भूमि की नोड्यत परिवर्तित की गयी वह विविध प्राधिकारों के विपरीत है।

प्रस्तुत वादमें पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अध्ययन से अध्ययन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.96 का भी गहनता से अध्ययन किया गया। समस्त साक्ष्यों के सम्यक परीक्षण से यह स्पष्ट है कि दिनांक 23.3.85 को जो आदेश तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया था। उसमें प्रतीपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदत्त नहीं किया था। साक्ष्य यह निर्विवादत रूप से स्थापित करते हैं कि विवादित सम्पत्त राजस्व अभिलेखों में आवादी के रूप में श्रेणी 622 में अंकित की गयी थी तथा इस बाबत तत्कालीन पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 8.8.79 को आदेश पारित किये गये थे। इस आदेश के परीक्षितन से यह स्पष्ट है कि यह तथ्य न्यायिक दृष्टि से पूर्णतः मान्य है कि राजस्व अभिलेखों में "आवादी" की प्रतीपक्षी विधान के अधीन की गयी है। तथा इस प्रतीपक्षी को निरस्त करने हेतु भी भी पक्षकार द्वारा कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया गया। नगर निगम का यह कथन इस घरण में मान्य नहीं है कि आवादी के संबंध में जो प्रतीपक्षी है वह अधिपत्त है। यदि नगर निगम दिनांक 8.8.79 को पारित आदेश

- 10 -

से क्षीय है जो उन्हें रक्षा न्यायालय के समक्ष वाद प्रेषित करके त्रुटि का अनुतोष प्राप्त करना पानीष्ट था। तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.3.85 के जोड़न से यह बात होती है। प्रकरण के संबंध में एक कांच गीतमान हुयी थी तथा इस कांच के आधार पर ही बाद संख्या 17/84-85 तरवार जमान महाश्वमी लेण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा 33/39 योजित हुआ। दिनांक 23.3.85 के जोड़न में यह उल्लिखित है कि दिनांक 8.8.79 को जो आदेश पारित हुआ था उससे संबंधित परवाना अमलदराज तहसील गाँववादा को दिनांक 15.8.79 जोड़ना गया था तथा इस आदेश के अधीनगत आबादी दर्ज होने के आदेश दिखे गये थे। इसी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि वर्ष 1382 फ़ा ता 1388 फ़ा वर्ष तक की खासगी में सही अमल दराजद किया गया परन्तु वर्ष 1390 फ़ा ता 1395 फ़ा वर्ष तक की खासगी बनाने समय किसी कर्मचारी द्वारा गतती से अथवा जानबूझकर उक्त जाले में आबादी के आगे कालोनी महाश्वमी लेण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी प्राधिकार दर्ज किया गया है जिसकी पुष्टि होनी आवश्यक है। तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा यह आदेश भी गये कि खासगी वर्ष 1390 फ़ा ता 1395 फ़ा के जाले 822 में कालोनी महाश्वमी लेण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी प्राधिकार हो कर केवल आबादी दर्ज रहे।

ये प्रतीपक्षों के विधान अधिकांश के हिसाब से सम्मत नहीं हैं कि प्रस्तुत बाधों प्रीवीण्ट कूररत करनेका हेतु अधिकार इस न्यायालय में निर्मित नहीं है। इस मामले में यह तर्क अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि प्रतीपक्षों की ओर से

- 11 -

उन समस्त अधीनियों की प्रीतीलीयां प्रस्तुत की गईं जिन्हें अधीन उन्हें अनुतोष प्राप्त हुआ परन्तु प्रीतिपक्षी की ओर से ऐसा कोई न्यायिक आदेशनों प्रस्तुत किया गया जिससे यह निश्चय हो कि किसी न्यायिक आदेशों आदेशों के अधीन आबादी के आगे मेसर्स महाबहमी लैण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी का नाम दर्ज किया गया हो। राजस्व अधीनियों में किसी भी प्रीतिपक्षी के अधीन होने हेतु प्रमाण आवश्यक है कि इस बाबत किसी उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था। प्रीतिपक्षी न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुए है, जिससे यह हींगत हो कि आबादी के आगे जो प्रीतिपक्षी हुई है उसके संबंध में परगनाधिकारों अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया था। अतः निरीक्षक स्व से यह हींगत होता है कि आबादी के आगे कासोनी महाबहमी लैण्ड एण्ड फाइनेन्स कम्पनी की जो प्रीतिपक्षी हुई है उसके संबंध में कोई भी न्यायिक आदेश नहीं पारित किया गया तो प्रीतिपक्षी का आधार वैधानिक रूप में मान्य नहीं है। इस क्रम में यह भी महत्वपूर्ण है कि भू-राजस्व अधीनियों के प्रीतिपक्षियों के अंक अधीन श्रेणी छ: 2) में अंकित प्रीतिपक्षियों में धर्मोत्तम पक्षकारों का नाम अंकित नहीं किया जाता। प्रस्तुत माद में निरीक्षक स्व से स्वल्प अथवा कठने सम्बन्धी विवरण पर निरीक्षक का निरीक्षक पारित नहीं है परन्तु राजस्व अधीनियों में प्रीतिपक्षी के पक्ष में जो कई प्रीतिपक्षी का आधार साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं हुआ है। राजस्व अधीनियों को उनी स्थिति में रखने का दायित्व भी राजस्व न्यायालय

- 12 -

राजस्व अधिकारियों के क्षेत्राधिकार में निहित है इस दशा में यह स्पष्ट है कि राजस्व अधिकारियों में अंतिम पूर्वाधिकार का आधार वैधानिक नहीं है, इसको निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार इस न्यायालय में है।

राजस्व अधिकारियों में की गयी पूर्वाधिकार के सम्बन्ध में पञ्जाबला पर उक्त अन्य आह्वानों का उद्घरण करने से भ्रम होता है कि विधायक पूर्वाधिकार के तंत्र में एक प्रशासनिक बाँच गीतमान हुयी कि एवं बाँच तत्कालीन अथ परगनाधिकारी द्वारा की गयी थी। तत्कालीन अथ परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 3.1.85 को अथ विभागाधिकारी (190) को प्रशासनिक बाँचके सम्बन्ध में एक आह्वानप्रस्तुत की गयी एवं इस आह्वान में यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 8.9.79 को परगनाधिकारी द्वारा जो आदेश जारी किया गये उसमें संबंधित परधानाअथ दरगद दिनांक 16.8.79 कोका गया था। इस बाँच आह्वान में यह उल्लेखित है कि राजस्व अधिकारियों में केवल आबादी दर्ज होने के पचाय जाओनी गताक्षणी लेण्ड एण्ड फार्मिन्स का नाम दर्ज कर दियागया है। इस अथ प्रथमतः प्रशासनिक बाँच अथ विभागाधिकारी (190) को प्रेषित की गई एवं इसी बाँचके क्रम में तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा बाद संख्या 17/84-85 द्वारा 3.3/39 एत0अथ एण्ड अथकार बनाम गताक्षणी लेण्ड एण्ड फार्मिन्स घोषित हुआ एवं तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 23.3.85 के द्वारा एत0नी वरी 1390 का ता 1395 का तक बाता संख्या 822 में जाओनी गताक्षणी लेण्ड एण्ड फार्मिन्स कमान

- 13 -

का नाम प्रथक किया गया।

इस प्रकार समस्त उपलब्धताहय एवं हीनत करते हैं कि
 रामस्व अंभोलो में जावादी के आगे जातोनी में महाशुभी ऐण्ड एण्ड
 फ्राइनेन्स कम्पनी का नाम प्रथम रूप में अंकित हुआ उसका कोई वैधानिक
 आधार नहीं है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा पूर्णतया का
 नाम इस रूप में दर्ज करने हेतु को कोई आदेश जारी किया गया।
 प्रस्तुत आदेशों में प्रतीति का यह दावेतव्य कि का न्यायालय के समक्ष
 ऐसा कोई न्यायिक आदेश प्रस्तुत करते किसे का प्रतीति को कि
 रामस्व अंभोलो में उनके पक्ष में जो कदमों ली है वह वैधानिक रूप
 से की गया थी। प्रतीति बाद से संबंधित समस्त साक्ष्य का स्पष्ट करते
 हैं कि जातोनी में फ्राइनेन्स ऐण्ड एण्ड फ्राइनेन्स कम्पनी का नाम
 किना किसी वैधानिक / न्यायिक आदेशों रामस्व अंभोलो में अंकित
 हुआ है, अतः न्यायिक दृष्टि यह स्वीकार करना पूर्णतया मान्य है कि
 विवादात्त प्रतीति-ट फोर्स एण्ड फोर्स इन्ट्री की श्रेणी में आती है।

विवादात्त प्रतीतियों के अधीन इस न्यायालय को रामस्व
 अंभोलो में ही शरी फोर्स एण्ड फोर्स इन्ट्री को प्रथम श्रेणी जाने का
 वैधानिकार प्राप्त है। साक्ष्यों के समक्ष पर हम के उत्तरित का ही नोचत
 स्वसे किसे ही-दोनी 1390 फा वा 1395 फा में जावादी के आगे
 जातोनी महाशुभी ऐण्ड एण्ड फ्राइनेन्स कम्पनी का नाम से संबंधित
 को प्रतीति-ट अंकित ली है वह अनाधिकृत वैधानिक व फोर्स

- 14 -

प्रीचिस्ट है तथा वर्तमान कसौली फसल बर्ष 1405 ता 1410 से इस प्रीचिस्ट को निरस्त किया जाना निर्वाह प्रविधानों के अन्वये है।

आदेश

उक्त नियोजना के आधार पर भारत संख्या 1550 फसल बर्ष 1405 ता 1410 प्रथम पसोन्दा दरवाजा लोनी तहसील व गाँवजाजाद के निम्न तसत नम्बर 663/0-6-0, 946/1 रकबत 0-7-0, 950/0-11-0, 1081/0-4-10, 1058/3 रकबत 2-17-13, 1292/3-13-5, 1363/0-10-0, 1371/0-5-0, 1447/2-5-0, 1516/0-3-0, 1527/2 रकबत 0-16-0, 1536/2 रकबत 0-7-0, 1557/10/0-5-14, 1564/3-16-0, 1565/2-6-0, 1577/0-6-0, 1604/10/0-3-0, 1605/10/0-0-0, 1606/0-1-17, 1607/0-12-15-13, 1610/0-3-0, 1614/0-10-0, 1619/1-2-0, 1621/1-10-0, 1628/0-0-10, 1629/0-0-0, 1630/0-4-0, 1631/0-3-0, 1632/0-3-0, 1642/0-0-10, 1666/0-0-12, 1692/1-3-12, 1693/0-0-0, 1725/1 रकबत 5-7-0 कुल योग तसत नम्बर 34 रकबत 31-15-6-13 पर अंकित आवादी के आगे बर्ष 1405 की मला-शुमी सेण्ड एण्ड आर्गेनिज कम्पनी का नाम पृथक है ता जात है। आदेश की एक प्रीचि भूख नगर अहिवासीनगर निम्न गाँवजाद एवं तहसीलदार गाँवजाजाद को अग्रिम सावायकनर्यवारी हेतु प्रेषित है।

- 15 -

न्यायालय की मन्नायती बाद आषाढ पूर्ति अभिलेखाग्र में रीति चला हो।

EO

दिनांक 15.10.1999

कोषांत पन्ना १

परबलाधिपती गार्गियाबाद
सहायक कोषांत प्रथम श्रेणी १ गार्गियाबाद

15.10.99

आदेश आषाढ हस्ताक्षरों सब दिनांकों पर लगे न्यायानयमें सुनाया गया

दिनांक 15.10.1999

EO

कोषांत पन्ना १ 15.10.99

परबलाधिपती गार्गियाबाद
सहायक कोषांत प्रथम श्रेणी १ गार्गियाबाद

संयुक्त कोषांत

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO: 4

IN

CIVIL WILCO. WRIT PETITION NO. OF 2002

DISTRICT: GHAZIABAD


Nagar Nigam Ghaziabad through Mukhya Nagar Adhikari

Nagar Nigam Ghaziabad.Petitioner

VERSUS

The Board of Revenue, U.P. (Camp Meerut)

District Meerut and others Respondents



Handwritten signature or initials.

48

न्यायालय श्री तनवीर जफर अली, अपर आयुक्त प्रशासन हुमरठ मण्डल मेरठ

निगरानी संख्या 3/99-2000

जिला गाजियाबाद

मे. महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाउ कम्प

नगर निगम गाजियाबाद

प्राप्ति

खताम

सरकार उ०प्र०

अन्तर्गत धारा 210 मूल

अ राज अधि

निर्णय

यह निगरानी मे. महालक्ष्मी लैण्ड फाउ कम्पनी प्राप्ति द्वारा वाद संख्या 4/98-99 अन्तर्गत धारा 33/39 भू-राजस्व अधिनियम में परगनाधिकारी/तायक क्लैमटर प्रथ. के पी. गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.99 के विरुद्धोचित की गई है।

संदेह में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपर परगनाधिकारी गाजियाबाद द्वारा एक रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी, गाजियाबाद को दिनांक 3.1.85 को इस आशय से प्रेषित की गई कि प्रवृत्त मामले को परगनाधिकारी के यहां धारा 33/39 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज नहीं है। कि जाय क्योंकि राजस्व अभिलेखों में आवादी के बाद महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाउ कम्पनी, देहली गलत प्रकारसे अंकित किया गया है। जिसके आधार पर अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, गाजियाबाद में परगनाधिकारी, गाजियाबाद को कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दिनांक 20.2.85 प्रेषित की। वाद संख्या 17/84-85 में परगनाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 23.3.85 को इस आशयके आदेश पारित किए गये कि सर्व 1390 फाउ 1395 फाउ धारा संख्या 820 में गतानी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाउ कम्पनी



(Signature)

49

- 2 -

खारिज होकर केवल जाबादी दर्ज हो। दिनांक 24.8.85 को परगनाधिकारी
 के आदेश दिनांक 23.5.85 को वापिस किये जाने का अनुरोध किया गया।
 निगरानीकर्ता द्वारा परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 23.3.85 के विरुद्ध
 निगरानी आयुक्त न्यायालय में घोषित की गई जो अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल
 मेरठ ने अपने आदेश दिनांक 12.6.85 को निगरानी स्वीकार करने की
 संवत्सृति इस आशय से माननीय राजस्व परिषद को की गई कि वाद प्रतिपक्षित
 शिवालय तथा पक्षों को सुनवाई के उपरांत वाद का निर्णय गुण दोष के
 आधार पर किया जाय। उक्त सन्दर्भ माननीय राजस्व परिषद द्वारा
 अस्वीकृत किया गया। जिसके विरुद्ध निगरानी कर्ता महात्तमी लेण्ड एण्ड
 फाउ कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या
 1993/1996 दाख की गई जिसमें इस आशय के आदेश पारित किये गये कि
 वाद अन्तर्गत धारा 33/39 भू- राजस्व अधिनियम के प्रावधानों एवं माननीय
 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार वाद का निस्तारण किया जाय। माननीय
 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.9.93 के क्रम में अपर न्यायालय द्वारा
 पक्षों की सुनवाई करते हुए अपने प्रथमगत आदेश दिनांक 15.10.99 द्वारा
 विवादायत भूमि से जाबादी के आगे दर्ज कालोनी महात्तमी लेण्ड एण्ड
 फाउ कम्पनी का नाम पृथक किये जाने के आदेश पारित किये गये, जिससे
 वाद खारिज होकर यह निगरानी महात्तमी लेण्ड एण्ड फाउ कम्पनी की ओर
 से केवल की गयी है।



50

-3-

निगरानी कर्ता महाराष्ट्र सी लैण्ड एण्ड फाउ कम्पनी की ओर से विद्वान अधिमता द्वारा तर्क किया गया कि रीट याचिका संख्या 1993/1996 में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि प्रसंगत भूमि पर धारा 33/39 भू-राजस्व अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि धारा 33/39 में केवल शिपकीय क्वीट को दुरुस्त करने का प्राविधान है न कि विधिवत दर्ज अत्यधिक पुरानी प्रीविटियों को। निगरानी-कर्ता के विद्वान अधिमता का यह भी तर्क है कि प्रसंगत भूमि विधिवत आदेश द्वारा आबादी दर्ज हो चुकी है तथा आबादी दर्ज होने के आधार पर वर्तमान में राजस्व न्यायालय को कोई अधिकार नहीं रह जाते हैं। उनके द्वारा तर्क किया गया कि आबादी व्यवस्था 1966 आर0डी010 व 1955 आर0डी0420 में दी गयी है। उनका तर्क है कि दिनांक 14.3.1969 को परगनाधिकारी ने प्रसंगत भूमि पर निगरानी कर्ता का कब्जा माना है जिसके विरुद्ध कोई वाद सक्षम न्यायालय में दायर नहीं किया गया। उनका तर्क है कि धारा 122बी की कार्यवाही में विवादित भूमि "भूमि" नहीं माना गया तथा 209 का वाद दायर किया गया। उनका तर्क है कि अंतर न्यायालय द्वारा दायरित आदेश विधि विरुद्ध व क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण विरस्त किये जाने योग्य है।

महोदय की ओर से विद्वान अधिमता द्वारा तर्क किया गया कि प्रीविट तौर पर मांगता जायजाब दुरुस्ती का है क्योंकि निगरानी कर्ता महाराष्ट्र सी लैण्ड एण्ड फाउ कम्पनी के नाम से प्रीविटिड किसी विधिवत आदेश प्रो. नहीं है, इस कारण परगनाधिकारी ने वी के सहाय लेने के

5/

-4 -

उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए वाद का निर्णय किया है, जो सही है। उनका काम है कि विधिके अनुसार विवादित भूमि परीनगरानीकर्ता का कोई अधिकार नहीं है, इस कारण उसका नाम खारिज किये जाने संबंधी आदेश उचित है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

मेने पक्षों के विज्ञान अधिवक्तागण की सहित सुनी तथा अवर न्यायालय की पञ्चावली भांति अवलोकन किया गया। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.95 का सूक्ष्म अध्ययन किया गया।

अवर न्यायालय की पञ्चावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में कोई विवादित नहीं है कि विवादित भूमि आबादी " है तथा इस आदेशके आदेश विधिवत पारित किये जा चुके हैं तथा अवर न्यायालय द्वारा भी अपने प्रसन्नत आदेश दिनांक 15.10.99 में यह निर्णय विधि एवं साक्ष्यके आधार पर निकाला गया है कि विवादित भूमि "आबादी " है तथा आबादी के रूप में ही अंकित है। अन्त में अवर न्यायालय द्वारा अपने प्रसन्नत आदेश दिनांक 15.10.99 द्वारा खाता संख्या 1550 फा वष 1905 फा तः 1910 फा से विवादित भूमिसे आबादी के आगे निगरानीकर्ता महाश्री श्री लण्ड एण्ड फाउ कम्पनीका नामदर्ज किये जानेके आदेश पारित किये गये है अर्थात् अवर न्यायालय द्वारा निर्णयवाक्य से विवादित भूमि को "आबादी " माना है एवं इसी आदेशकी रिपोर्ट अवर परगनाधिकारी व अवर जिलाधिकारी द्वारा, मसः दिनांक 3.1.85 व 20.2.85 में दी गयी है।



52

-5-

अन्वयतः यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि " भूमि" की श्रेणी में नहीं आती है बल्कि " आबादी" की श्रेणी में आती है।

जहां तक आबादी के आगे निगरानीकर्ता महालक्ष्मी लेण्ड एण्ड फाउ कम्पनी का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1993 /1996 स्वीकार करते हुए बहुत ही स्पष्ट एवं विस्तृत विवेचना अपने आदेश में की गयी है, जो मुख्यतः

निम्नवत है:-

- 1- याचिका निगरानीकर्ता महालक्ष्मी लेण्ड एण्ड फाउ कम्पनी के विरुद्ध राज्य सरकार उ०प्र० की ओर से तीसरे एक्ट की धारा 10 के अन्तर्गत वाद संख्या 12/रुल 1965 कायागया, जिसमें तत्काल प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.1965 में निगरानीकर्ता के पक्ष में निर्णीत किया गया जिसमें विरुद्ध सरकार उ०प्र० की ओर से अपील संख्या 71/86 अपरीजला जज मेरठ द्वारा दिनांक 19.5.1967 को खारिज कर दी गई।
- 2- धारा 122 बी जमींदारी विन्याय अधिनियम की कार्यवाही में तहसीलदार, गाँजवाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 5.1.1967 में विवादित सन्पील को भूमि न मानते हुए कार्यवाही वापस लेने के आदेश पारित किये जो तब महालक्ष्मी का कब्जा बहुत पुराना मानते हुए यह आदेश विन्यायवादी विवादित भूमि पर महालक्ष्मी लेण्ड एण्ड फाउ कम्पनी का आंतर पुराना कब्जा बना आ रहा है। जिसके आधार पर उसके

[Handwritten Signature]

53

- 6 -

अधिकार पारंपरिक हो चुके हैं।

3- धारा 209 जमींदारी विनाश अधिनियम के बाद ग्राम सभा द्वारा घोषित दिवागया जो परगनाधिकारी, हापुड ने आदेश दिनांक 14.3.69 को निगरानीकर्ता के विरुद्ध निर्णीत किया, जिसके विरुद्ध निगरानी आयुक्त न्यायालय में घोषित की गई, जो स्वीकार हुई तथा परगनाधिकारी के आदेश को निरस्त किया जाने की सुंस्तुति की गई। उक्त तन्मूर्ध माननीय राजस्व परिषद द्वारा अपने आदेश दिनांक 6-9-75 द्वारा स्वीकार करते हुए परगनाधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया एवं बाद अन्तर्गत धारा 209 को पाल्सीय न होने के कारण निरस्त किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील / निगरानी घोषित नहीं की गई।

निगरानीकर्ता की ओर से उक्त आदेशों आधार पर महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाउ कम्पनी की ओर से एक प्रार्थनापत्र परगनाधिकारी, गाजियाबाद के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो परगनाधिकारी, द्वारा दिनांक 8.8.79 को स्वीकार करते हुए विवादात्त भूमि में बंजर होने की प्रीविजिट को काटे जाने एवं विवादात्त भूमिआधादी घोषित किया जाने के आदेश पारित किया गये तथा कुछ समय बाद वादी & निगरानीकर्ता & का नामदर्जकर दिवागया उक्त प्रीविजिट कुछ वर्षों तक जारी रही। जो कि निगरानीकर्ता & वादी & को बिना सुने व नोडिस जारी किया जाने के आदेश परगनाधिकारी ने दिनांक 23.3.85 को आदेश पारित

दिनांक 23.3.85



-7-

जिसे, जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त मेरठ द्वारा निगरानी स्वीकार हुई, लेकिन राजस्व परिषद द्वारा उक्त संस्तुतिको निरस्त करते हुए प्रीविजिट को फर्जी माना। उक्त आदेशके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखल की गई जो स्वीकार हुई तथा माननीय राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 29.8.98 को निरस्त करते हुए उल्लेख किया है कि "The plots which stand recorded as Abadi Mahalaxmi land and Finance co. could not be claimed as G.S. property in proceeding U/s 33/39 of U.P. L.R. Act. It ~~was~~ apparently could not have been ordered by the learned Member, Board of Revenue in a case for correction U/s 33/39 of L.R. Act for claiming the section 33 stipulates correction of errors

इसके अतिरिक्त अपर न्यायालय द्वारा प्रथमतः आदेश दिनांक 15.10.99 निगरानीकर्ता महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनेंस कंपनी का नाम निरस्त करने का आधार यह लिया गया कि प्रीविजिट के संबंध में एक प्रशासनिक जांच गतिमान हुयी थी तथा परवाना अमल दरामद दिनांक 18.8.79 द्वारा आबादी दर्ज होने के अजाय कालोनी का नाम दर्ज गलत प्रकार से कर दिया गया, माना गया स्पष्टतः तौर पर उक्त परवाना अमल दरामद परामनाधिकारी के आदेश दिनांक 8.8.79 के आधार पर जारी किया गया जिसके तालुके राजस्व जांचियों में निगरानीकर्ता महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनेंस कंपनी का नाम दर्ज चला आ रहा है जो एक प्राचीन प्रीविजिट है तथा यह विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा अवधारित



55

- 8 -

किया जा चुका है कि पुरानी प्रविष्टि धारा 33/39 की सरकारी कार्यवाही में नहीं काटा जा सकता है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकार में यह स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति "भूमि" की श्रेणी में नहीं आती है। निगरानीकर्ता का नाम परगनाधिकारी गाँजवाबाद द्वारा धारा 143 में पारित आदेश दिनांक 8-8-79 के बाद अंकित हुआ है कि परगनाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 23-3-85 में उल्लिखित किया है। इसलिए उक्त प्रविष्टि की धारा 33/39 की सरकारी कार्यवाही में निरस्त नहीं किया जा सकता है। कि जैसी कि नगर विवेचना की जा चुकी है, प्रत्यक्ष भूमि के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकारों द्वारा घोषित धारा 209 अधिनियम विनाश अधिनियम का बाद पोषणीय न होने अर्थात् विवादित सम्पत्ति को "भूमि" न मानते हुए, पोषणीय नहीं माना गया। इसलिए धारा 33/39 में- राजस्व अधिनियम की कार्यवाही को पोषणीय मानने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार विवादित भूमि "भूमि" की परिभाषा में नहीं आती है इसलिए न तो धारा 33/30 में- राजस्व अधिनियम की कार्यवाही पोषणीय है और न ही "आबादी" घोषित होने व मौके पर आबादी सड़के सीवर, नाल आदि होने के आधार पर राजस्व न्यायालय को इस संबंध में कोई क्षेत्रीय प्रारंभ प्राप्त है। अतः नगर विवेचना का प्रश्न है, नगर विवेचना यदि वाले तो सक्षम न्यायालय में विधिवत कार्यवाही कर सकती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर परगनाधिकारी, गाँजवाबाद



56

-9-

द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.99 तदनुसार किये जाने एवं निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।



आदेश

निगरानी स्वीकार की जाती है। परगनाधिकारी / सहायक कमिश्नर
प्रथम श्रेणी { गाँजवाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.99 तदनुसार
किया जाता है।

दिनांक 13.7.2000

{ H.O अस्पष्ट {
{ तनवीर जफर अली {
अपर आयुक्त,
भरत मण्डल, मेरठ।

{ सत्यप्रतिनिधि {



[Handwritten signature]

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO: 5

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2002

DISTRICT: GHAZIABAD

Nagar Nigam Ghaziabad through Mukhya Nagar Adhikari
Nagar Nigam Ghaziabad.Petitioner

VERSUS

The Board of Revenue, U.P. (Camp Meerut)
District Meerut and others Respondents

[Handwritten signature]

57

न्यायालय माननीय राजस्व परिषद उ०प्र० इलाहाबाद, कैम्प मेरठ

निगरानीसंख्या

सन 2000

नगर निगम गाँजवाबाद द्वारा मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम

गाँजवाबाद ----- निगरानीकर्ता

विवरीत

1- मेसर्स भटा लक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनैस कम्पनी प्रोप्राइटेड लिमिटेड-8

विजयदत्त ट्रस्ट ग्लोबलिंग आसिफ अली रोड, नई दिल्ली द्वारा मैनेजिंग
डायरेक्टर।

2- सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा कलेक्टर गाँजवाबाद।

----- विपक्षीयता

निगरानी अन्तर्गत धारा 219एल.आर एक्ट
जिला गाँजवाबाद।

श्रीमानजी,

निगरानी न्यायालय श्रीमान तनवीर जफर अली अपर आयुक्त

न्यायिक इ मेरठ मण्डल, मेरठ। निगरानीसं० 3 1999-2000

मेसर्स भटा लक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाइनैस कम्पनी बनाम नगर निगम

गाँजवाबाद आदि में विपक्षी सं० 1 की निगरानी स्वीकार करने

के आदेश दिनांक 13/7/2000 के विरुद्ध निम्न आधारों पर प्रस्तुत

की जाती है।

अथ

यहाँ कॉम्प्लीटिंग कम्पनी ने कालोनी विकास करने हेतु ग्राम



(Signature)


58

- 2 -

की भूमि खरीदी और उक्त खरीदी गई भूमि पर कम्पनी का दायित्व
 खारिज हो गया। उसके बीच में गांव तथा कीभूमि थी। कम्पनी
 ने अपनी कुछ भूमि से उसका तबादला करना चाहा। परन्तु तबादले
 का प्रार्थना पत्र खींचत हो गया।

2- यहाँ आबादी में कम्पनी ने अपनी भूमि और तबादले में उसे जो
 गांव तथा कीभूमि मिलनी थी। उस पर जोके से बंजरके स्थान पर
 आबादी का इन्द्राज करा लिया। आबादी के इन्द्राज के आदेश दिनांक
 8.8.79 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आबादी के साथ कम्पनी का नाम
 नहीं लिखा जायेगा। परन्तु बाद में कम्पनी ने तहसील कमवांसियाँ
 से मिलकर खतौनी में आबादी के साथ अपने नाम का इन्द्राज भी करा
 लिया।

3- यहाँ आबादी के साथ कम्पनी के नाम के इन्द्राज के विरुद्ध गांव की
 गई और आदेश दिनांक 23.3.85 द्वारा कम्पनी का नाम काट दिया
 गया। इस आदेश के विरुद्ध कम्पनी ने न्यायालय श्रीमान आयुक्त
 मेरठ मण्डल मेरठ में निगरानी योजित की उसे स्वीकार करने हेतु श्रीमान
 जयर आयुक्त मेरठ ने माननीय राजस्व परिषद से संस्तुति की, जो
 दिनांक 29.8.91 को माननीय राजस्व परिषद द्वारा खींचत कर दी
 गई।

4- यहाँ कम्पनी माननीय राजस्व परिषदके उक्त आदेश के विरुद्ध
 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका योजित तथा
 तथ्य उपार तथा अपनी अन्य  सीलिंग आदि के कागजात पेशकर

- 3 -

आदेश दिनांक 30.9.96 द्वाराकेस रिमाण्ड करा लिया।

5- यह कि रिमाण्ड के उपरांत सब तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए।

श्रीमान एस डीजी ने अपने आदेश दिनांक 5.10.99 आदेश

प्रारित किये। उसके विरुद्ध न्यायाध्य श्रीमान आयुक्त मेरठ मण्डल

मेरठ कम्पनी ने निगरानी की जो आदेश दिनांक 13.7.2000 द्वारा

स्वीकार करती गई। उक्त आदेशके विरु यह निगरानी है।

6- यह कि विवादिताधीन धारा 117 जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के

अन्तर्गत दिनांक 1.11.72 को नगर निगम में निहित हो गई और

गांव सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया किन्तु गांव सभा को पक्षकार

बनाकर प्राप्त किये गये है।

- आधार -

1- यह कि श्रीमान अपर आयुक्त मेरठ का उक्त निर्णय व आदेश

अवैधानिक नियम विरुद्ध पूर्ण तथा अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

जिससे निगरानीकर्ता के साथ अन्याय हुआ है।

2- यहाँके पत्रावली पर ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आबादी के

न्याय मेसर्स महाकमी का नाम भी अंकित है। वरन् मूल आदेश दिनांक

1.11.72 में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है। कि केवल आबादी

का नाम लिखा जाये। श्रीमान अपर आयुक्त का आदेशकार्यों के विपरीत है।

3- यह कि आबादीके साथ कम्पनीका नाम उन्मूलन बिना किसी



60

-4-

वैधानिक आदेश के निम्न स्तर पर कर पंदाया गया जो शक्ति की कार्यवाही में उचित रूप से काटा गया। उसके विपरीत निर्णय देकर श्रीमान अपर आयुक्तने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है।

4- यह कि आबादी का इन्फ्राज कराने का आदेश भीड़न्य है उसका प्रभाव निगरानीकर्ता अधिकारों पर नहीं पड़ता है क्योंकि पंदाया 1.11.72 को धारा 117 जेड.ए.एक्ट का गजट हो चुका था। गांव सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया था विपक्षी कम्पनी की ओर से समस्त कार्यवाही मृत गांव सभा के विरुद्ध की गई है।

5- यह कि बंजर भूमि पर किसी व्यक्ति को आबादी घोषित कराने का अधिकार नहीं है केवल भूमि को अपनी जीत की भूमि की आबादी घोषित कराने का अधिकार है। श्रीमान अपर आयुक्त ने इस तथ्य की अवहेलना की है तथा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत नतीजों का अपने निर्णय में वर्णन तक नहीं किया।

6- यहाँ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त ने सही अधिकारता का प्रयोग किया है जो उसमें विधि द्वारा निर्दिष्ट थी नहीं थी इसके कारण तात्त्विक अन्यायिता हुई है। और निगरानीकर्ता के अधिकारों पर कुरभाव पड़ा है।

7- यहाँ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त का उक्त निर्णय व आदेश प्रत्येक अवसरथा में खिण्डित होने योग्य है।

अतः प्राथमिक निगरानी स्वीकार करमाकर न्यायालय

श्रीमान अपर आयुक्त का निर्णय व आदेश दिनांक 13-7-2000

खिण्डित करमाकर न्यायालय अंत कर्मा होगी।

दिनांक - 13/7/2000

नगर निगम गाँजियाबाद

द्वारा इकबाल अहमद, एडवोकेट

नियमित कार्य

निगरानीकर्ता

नगर निगम गाँजियाबाद

द्वारा इकबाल अहमद, एडवोकेट

नियमित कार्य

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALAHABAD

ARRESTABLE NO: 6

IN


CIVIL APPL. WITH PETITION NO. 67 OF 2002

DISTRICT: ORAZIABAD

Nagar Nigam Orazabad through Mukhya Nagar Adhikari
Nagar Nigam Orazabad,Petitioner

VERSUS

The Board of Revenue, D.S. (Camp Meerut)
District Meerut and others Respondents



Prave

61

न्यायालय माननीय न्यायाधीश, राजस्थान परिषद, उत्तर प्रदेश, कैम्प-मेरठ।
 निगरानी संख्या: 63/एलओआर-एमओ/2000-2001 जिला-गाजियाबाद।
 नगर निगम गाजियाबाद ----- काम ----- मै० महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड
 एन्वैरोन्स कं० प्रा० लि०
 अर्तगत धारा: 219 मै० राजस्व अधिनियम।

आदेश

यह निगरानी नगर निगम गाजियाबाद की ओर से
 मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अपर आयुक्त, मेरठ
 मण्डल, मेरठ के आदेश दिनांक 13-07-2000 के विरुद्ध योजित की गई है।

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपर परगना
 अधिकारी द्वारा दिनांक 3-1-85 को एक आहवा उपर जिलाधिकारी
 गाजियाबाद की इस आहवा से प्रेषित की गयी कि परगना प्रकरण की
 धारा 33/39 में कुत्ती हेतु परगनाधिकारी गाजियाबाद को भेजा जाये।



उक्त आहवा के आधार पर परगनाधिकारी गाजियाबाद के न्यायालय
 में वाद संख्या 17/84-85 प्रारम्भ हुआ, जिसमें परगनाधिकारी द्वारा
 दिनांक 23-3-85 को मै० महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड एन्वैरोन्स कं० के नाम काटने के आदेश
 पारित किये गये। उक्त आदेशों से विरुद्ध अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ
 को उक्त आदेशों में जो दिनांक 13-07-2000 को अपर आयुक्त द्वारा राजस्थान परिषद
 को इस संस्तुति के साथ प्रेषित किया गया कि वाद अवर न्यायालय को
 पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाये। उक्त सन्दर्भ राजस्थान परिषद द्वारा
 निरस्त कर दिये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या 1993/
 1996 योजित की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट में
 इस आहवा के आदेश पारित किये गये कि वाद अर्तगत धारा 33/39 में
 राजस्व के प्राविधानों के तहत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार
 निर्यात किया जाये। उक्त के क्रम में परगनाधिकारी गाजियाबाद द्वारा
 पुनः सुनवाई करते हुए दिनांक 15-10-99 को विवादित भूमि से मै० महा
 लक्ष्मी लैण्ड एण्ड एन्वैरोन्स कं० का नाम काटने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश
 से विरुद्ध अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के न्यायालय में निगरानी संख्या
 63/99-2000 योजित की गयी। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13-7-2000
 को पारित आदेश में निगरानी को स्वीकार कर अवर न्यायालय के आदेश

Handwritten signature

62


दिनांक 15-10-99 को निरस्त कर दिया गया। अवर आ्युक्त के उक्त आदेश
के विरुद्ध नगर निगम गाजिपाबाद की ओर से एक अपीलनामा पेश किया गया
गया है।

उपर्युक्त दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की सुना
गयी तथा अधिवक्तागणों का मतवता से इतना ही किया गया। उक्त से स्पष्टतः
एक बात को निश्चयित है कि निगम निरस्त भूमि आदेशों से तथा निरस्त भूमि
में अपर आ्युक्त के इस विवरण में सम्मिलित हैं कि अपराधी होने के कारण
पुनर्गत भूमि भूमि की कमी में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी
उल्लेखनीय है कि पुनर्गत कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार
धारा 33/39 के अन्तर्गत की गयी है, तथा धारा 33/39 की कार्यवाही
एक तरफ से कार्यवाही है। पुनर्गत भूमि की आबादी तथा गैर गृहस्थानों
काटो को का नाम अंकित करने संबंधी परम्पराधिकारों के आदेश धारा 143
में पारित किये गये हैं तथा अपर आ्युक्त द्वारा उक्त मत कि धारा 143
में पारित आदेश की प्रतिक्रिया धारा 33/39 की कार्यवाही में नहीं कटौती
जा सकती, उचित है। अतः अपर आ्युक्त द्वारा पारित पुनर्गत आदेश की
विधिगत बन्धन पाते हुए ए अगें किसी प्रकार के इतराधिकार की आवश्यकता नहीं
संभवता है। प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।
उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रस्तुत निगरानी निरस्त
की जाती है। अपर आ्युक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक
13-7-2000 को पुष्टि की जाती है।

दिनांक: 28/11/2001

सरयू प. वि.
राजस्थान परिषद, उ.प.०,
कैम्प-मेरठ

13/11/2001
राजस्थान परिषद,
कैम्प-मेरठ।



6

63

न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व परीक्षक उत्तर प्रदेश कैम्प- मेरठ
 नगरानी संख्या-63/एनओआरओएनओ [2000-2001] जिला गाजियाबाद।
 नगर निगम गाजियाबाद -----ब्लॉक ----- में महालक्ष्मी लेण्ड एण्ड
 सलहेन्स की प्राप्ति लिये।
 अन्तर्गत धारा: 219 भू राजस्व अधिनियम।

आदेश

यह नगरानी नगर निगम गाजियाबाद की ओर से
 मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अपर आयुक्त मेरठ
 मण्डल, मेरठ के आदेश दिनांक 3.7.2000 के विरुद्ध घोषित की गई है।

संक्षेप में नगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपर परगना
 अधिकारी द्वारा दिनांक 3.1.85 को एक आख्या अपर जिलाधिकारी
 गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित की गयी कि प्रसंगत प्रकरण की
 धारा 33/39 में दुरुस्ती हेतु परगनाधिकारी गाजियाबाद को भेजा जाये।
 उक्त आख्या के आधार पर परगनाधिकारी गाजियाबाद के शिवालय
 में वाद संख्या 17/84-85 प्रारम्भ हुआ, जिसमें परगनाधिकारी द्वारा
 दिनांक 23.3.85 को मै, महालक्ष्मी फाउंडेशन के नाम काटने के आदेश
 पारित किये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल मेरठ
 के न्यायालय में घोषित नगरानी को अपर आयुक्तद्वारा राजस्व परीक्षक
 को इस संतुष्टि के साथ प्रेषित किया गया गाजियाबाद अपर न्यायालय को



64

- 2 -

पुनः सुनवाई हेतु प्रीतिप्रेषित किया जाये। उक्त सुनवाई रा.स्व परिषद द्वारा निरस्त कर दिये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय में फॉरट संख्या 1993/1995 घोषित की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त फॉरट में इस आदेश के आदेश पारित किये गये कि वाद अन्तर्गत द्वारा 33/39 में रा.स्व के प्राविधानों के तहत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्णय किया जाये। उक्त के क्रम में परगनाधिकारी गाजियाबाद द्वारा पुनः सुनवाई करते हुए दिनांक 15.10.99 को विवादित भूमि से मेड महा लक्ष्मी फाउंडेशन का नामकाटने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, के न्यायालय में निगरानी संख्या 3/99-2000 घोषित की गयी। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13.7.2000 को पारित आदेश में निगरानी को रद्द कर अपर न्यायालय के आदेश दिनांक 15.10.99 को निरस्त कर दिया गया। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरुद्ध नगर निगम गाजियाबाद की ओर से यह निगरानी घोषित की गयी है।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अभिरक्षागण को सुना

गया तथा अभिलेखों का महत्ता से अवलोकनीय गयी। उक्त से स्पष्टतः

स्पष्ट बात तो निव्वदि है कि विवादित भूमि आबादी है तथा में इस संबंध में अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष से सहमत हूँ कि आबादी होने के कारण

प्रत्येक भूमि भूमि को प्रेणो में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक आबादी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार

द्वारा 33/39 के अन्तर्गत की गयी है, तथा द्वारा 33/39 की कार्यवाही

65

- -3 -

एक सरसरी कार्यवाही है। प्रश्नगत भूमि को आबादी तथा भू मालिकी पाठकों का नाम अंकित करने संबंधी परगनाधिकारी के आदेशाधारा 143 में पारित किये गये हैं तथा अपर आयुक्त द्वारा व्यक्त मत कि धारा 143 में पारित आदेश की प्रीवॉइट धारा 38/39 की कार्यवाही में कहीं काटी जा सकती है, उचित है। अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को विहित ममत पाठे हुए में उसमें किसी प्रकारके हस्तक्षेपकी आवश्यकता नहीं समझता हूँ। प्रस्तुत निगरानी बतहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचनाके आधार पर प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती, है। अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-7-2000 की प्रीवॉइट की जाती है।

दिनांक 28-11-2001


दिनांक अक्टूबर 28-11-2001



श्री आर०के० वर्मा

आई०एस०

सदस्य

राजस्व परिषद उ०प्र० कैम्प मेरठ।

{ सहायक निगरानी }




IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

AFFIDAVIT

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. 11754 of 2002

DISTRICT: GHAZIABAD

Nagar Nigam Ghaziabad through Mukhya Nagar Adhikari
Nagar Nigam Ghaziabad. ...Petitioner

VERSUS

The Board of Revenue, U.P. (Camp Meerut)
District Meerut. and others.Respondents



Affidavit of Bhawani Deen Yadav,
aged about 38 years Son of Sri
Chullar Yadav, Posted as Law
Assistant, Nagar Nigam Ghaziabad,
District Ghaziabad....Deponent

I, the above named deponent do hereby solemnly affirm

and state on oath as under :

1- That the deponent is posted as Law Assistant in
Nagar Nigam Ghaziabad and has been authorised to file
writ petition, as such he is well acquainted with the
facts deposed to below.


I, the above named deponent do hereby declare
that the contents of para 1 of the affidavit and

67

-2-

Paras 1, 26 and 28 of the writ
 petition are true to my personal knowledge and those
 of paras Nos. 2 to 17
 are based on perusal of records, and those of paras
 Nos. 18 to 25, 27 and 29
 are based on legal advice, which I believe to be true
 that no part of it is false and nothing material
 has been concealed.

So help me God.



DEPONENT

I, Prem Chandra, Advocate High court, Allahabad



do hereby declare that the person making this affidavit

and alleging himself to be deponent is known to me

from perusal of papers of the case which are produced

before me.




 (PREM CHANDRA) 
 ADVOCATE



68


-2-

Solemnly affirmed before me on this 13th day of ... 2002 at ... a.m./p.m. by deponent who has been identified by the aforesaid Advocate.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit which have been explained to him.

OATH COMMISSIONER

Chandra Mohan Iha
Advocate
F. No. ... 2000
H. No. ...
SI. No. ...
Date ...



[Handwritten signature]

ANNEXURE A-2

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

26/Jun/2024 13:16:14

ग्राम क्रमांक : 217025 ग्राम का नाम (परगना) : पसौन्डा (लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1

(1) छाटा संख्या : 03623

श्रेणी : 6-2 / अकृषिक भूमि - स्थल, सड़के, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषिक उपयोगों के काम में लायी जाती हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / अधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अव्ययस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा अदेश संख्या / अदेश का दिनांक / जौत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (सूचीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-उत्पन्न :
1564	आवादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड // फाइनेन्स कम्पनी //			1564(2170251564000062)	0.9610			0.00

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव नी छः एक शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-उत्पन्न - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत वाद संख्या अथवा अदेश संख्या / अदेश का दिनांक / नामान्तरण का अधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता /	(12) गाटे का खसरा नम्बर / सूचीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अव्ययस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / सूचीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

26/Jun/2024 13:16:14

ग्राम क्रमांक : 217025 ग्राम का नाम (परगना) : फसौन्डा (लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1
(1) खत संख्या : 03623

	जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)					
1) अन्य /sn 27 /21-12-2005 /विक्रय /ROOP CHANDA (REVENUE INSPECTOR) /07-10-2023	1.1) आवादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड// (शेष क्षेत्रफल : 0.0000) 1.2) फाइनेन्स कम्पनी// (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	1564(2170251564000062)	1.1) 0.0000 1.2) 0.0000	1.1) झील/-/	1564(2170251564000062)	1.1) 0.0000

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/अवेदन संख्या/खतेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/अवेदन संख्या/खतेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

26/Jun/2024 13:16:14

ग्राम क्रमांक : 217025

ग्राम का नाम (परगना) : पसौन्डा (लोनी)

तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद

फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028)

भाग : 1

पूर्व आदेशों का विवरण

(1) खतौनी संख्या : 03623

- 1) 1392फ.अदेशानुसार परगनाधिकारी महो.वाद स. 17/84-85सरकार बनाम महालक्ष्मी लैन्ड एन्ड फाइनेन्स कम्पनी मे आदेश हुआ कि ग्रामि के खाता स.822मे साल 1390फ.से 1395फ.वर्तमान खाता स.2476मे महालक्ष्मी लैन्ड फा.क.का नाम खारिज करके केवल आबादी दर्ज होवे ह0ले0अ0-10-4-85
- 2) I Accordingly allow the writ petition quas the order dated 29.8.96passed by the bord of revenue in reference no409 (L.R.)84-85
- 3) खारिज करके केवल आबादी दर्ज होवे।ह.ले. 10.4.85
- 4) निगरानी निस्तारण तक अपर न्यायालय के आदेश का क्रियान्वन व अमलदरामद स्थगित किया जाता है। ह.ले.10.4.85
- 5) न्यायालय अपर अयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ अतिरिक्त अयुक्त महो.की आज्ञा की प्रति जो कार्यवाही स्थगित हुई हा।निगरानी स.21/84-85धारा 33/39 ग्राम पसौन्डा पर.लोनी त.गा.महालक्ष्मी लैन्ड एन्ड फा.क.बनाम यू.पी.स्टेट अटि जेडि
- 6) श्री एस.के.त्रिवेदी पर.अधिकारी की दि. 23.5.85की आज्ञा के विरुध वाद स.16/84-85 धारा 33/39एल.आर.एक्ट सरकार बनाम महालक्ष्मी लैन्ड फा.क.मे हुयी है।आदेश निगरानी कर्ता के विरुध ककीलो को सुन
- 7) 1404फ.अदेशानुसार श्रीमान त.महो.गा.वाद विविध प्रार्थना पत्र सं.2/96पर दि.28.10.96को आदेश हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद वैच लाखनऊ मे दाखर रिट याचिका सं.1993(ए.ए.ए.) वर्ष 1996मे महालक्ष्मी लैन्ड एन्ड फा.क. प्रा.ति.बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू लाखनऊ तथा अन्य मे पारित निम्न आदेश दि.30.9.96 का खतौनी 1390ता. 1395फ.के खाता स.822व वर्तमान खाता स.2476पर यथावत अमलदरामद किया जाव
- 8) and the S.D.O.Ghaziabad dated 23.3.85 The entry shall be maintained .The S.D.O. Ghazibad may decide the case of corraction under section 33/39U.P.land revenue act in the light observations mode above
- 10) about the scope of section 33of U.P.land revenue act and thou he shall give appor- tunity of hearing to the petitioner no coste . S.D.B.K.sing horible(J) 30.9.96
- 11) 1407फ.न्यायालय परगनाधिकारी /सह.कलेक्टर प्रथम श्रेणी गा.बाद वाद स.4/98-99धारा 33/39 एल.आर.एक्ट ग्राम पसौन्डा प.लोनी त.व जि.गा.बाद सरकार बनाम मै.महालक्ष्मी लैन्ड एन्ड फा. कम्पनी अदेश दि.15.10.99
- 12) अदेश ग्राम पसौन्डा के खाता स.1550पर.लोनी त.व जि.गा.बाद के निम्न ख.न.863/0-6-0,946/1/ 0-7-0,950/0-11-0,1081/0-4-10,1088/3/2-17-13 1292/3-13-5,1363/0-10-0,1373/0-5-0,1447/ 2-5-0,1516/0-3-0,1527/2/0-16-0,1536/2/0-7-0
- 13) 1557सि/0-8-14,1564/3-16-0,1565/2-6-0, 1577/0-6-0,1604सि/0-3-0,1605सि/0-8-0,1606सि/ 0-1-17,1607/0-12-15-13,1610/0-3-0,1614/ 0-10-0,1619/1-3-0,1621/1-18-0,1623/0-0-13-0 1629/0-8-0,1630/0-4-0,1631/0-3-0,1632/
- 14) 0-3-0,1642/0-0-10,1666/0-0-12,1692/1-3-12 1693/0-4-0,1725/1/5-7-0कुल 34रकबा 31-15-6-13 पर अकित आबादी के अपे दर्ज कालेनी महालक्ष्मी लैन्ड एन्ड फा.क.का नाम पृथक किया जाता है। ह.ले.
- 15) 1409फ. न्यायालय श्री तनवीर अली जफर अपर अयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ अदेश दि. 13.7.2000 निगरानी सं.98-99 धा.33/39भू.राजस्व अधिनियम मौ. महालक्ष्मी लेण्ड एण्ड फा. कम्पनी बनाम नगर निगम गा.बाद अन्तर्गत धारा अदेश निगरानी स्वीकार की जाती है कि परगना अधिकारी / सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी गा.बाद द्वारा
- 16) पारित अदेश दि.15.10.99 निरस्त किया जाता है
- 17) न्यायाल माननीय सदस्य राजस्व परिषद उ090 कैम्प मेरठ आदेश दि. 28.11.2001 निगरानी सं 63 एल आर एक्ट 2000-01 जिला गा.बाद नगर निगम गा.बाद बनाम मौ. महालक्ष्मी लेण्ड एण्ड फा. कम्पनी प्रा.ति. अन्तर्गत धारा 219 भूराजस्व अधिनियम —आदेश—उत विवेचना के आधार पर प्रस्तुत निगरानी
- 18) निरस्त की जाती है अपर अयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा पारित अदेश दि.13.7.2000 की पुष्टि की जाती है।ह अथिठ
- 19) In the court of judicature at allahabad sivil side appellate/original jurisdiction dated allahabad the 18.3.2002 present the honorable m r Justice Yatindra singh and honorable mr Justice write writ no 11754 of 2002 order on the application of
- 20) order on the application of (order on petition) district Ghaziabad nagar nigam ghaziabad versus no-1 The board of Revenue u p ccamp meerut district meerut no.-2 state of u p through collector siss ghaziabad no.3 Additional commissioner / administration meerut division disst meerut
- 21) no.4 m/s mahalaxmi land and finance company pvt Ltd s B jindal trust building ashaf ali road new delhi through its managing director/issue notice Notice on behalf of erspondents no 12 and 3 have been accepted by the standing councele issue
- 22) notice to service for respondents no 4 Till further order of the court or operation of the order dated 28.11.2001 remation Stayed s d yatinder singh 18-3-2002
- 23) न्यायालय परगनाधिकारी /सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)गाजियाबाद वाद स.8/2005 -06 अन्तर्गत धारा 33/39उ.प्र. भू.रा.अ.ग्राम पसौन्डा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद सरकार बनाम अशोक ठाकुर अदेश दिनांक 19-12-05 को अदेश हुआ कि खतौनी फसली वर्ष
- 24) 1412 से 1417 फसली के खाता स. 2476 के ख.न. 863 रकबा 0.076 ,946/1 रकबा 0.089 ,950 रकबा 0.139 ,1081 रकबा 0.057 ,1088 /3 रकबा 0.729 ,1292 रकबा 0.926 ,1373 रकबा 0.063 ,1516 रकबा 0.038

6/26/24, 1:16 PM

upbhulekh.gov.in/public/public_for/action/captchamatche

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

26/Jun/2024 13:16:14

ग्राम क्रमांक : 217025 ग्राम का नाम (परगना) : पसौन्डा (लोनी) तहसील : गाजियाबाद जनपद : गाजियाबाद फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023) पान : 1
(1) छाया संख्या : 03623

1527/2 रकबा 0.202 ,1536/2 रकबा 0.089 ,1557 मि.रकबा
25) 0.110 ,1565 रकबा 0.582 ,1577 रकबा 0.076 1604 मि. रकबा 0.038 1605 मि. रकबा 0.101 ,1606 रकबा 0.024 ,1607 रकबा 0.162 1610मि. रकबा 0.038 ,1614 रकबा 0.126 ,1619 रकबा 0.272,1621 रकबा
0.481 ,1628 रकबा 0.012 ,1629 रकबा 0.101 ,1630रकबा 0.051
26) 1631 रकबा 0.038,1632रकबा 0.038 1642 मि. रकबा 0.006 ,1666 रकबा 0.008, 1692 मि. 0.298 ,1693 रकबा 0.051 1725 /1मि. रकबा 1.354 पर फर्जी प्रविष्ट द्वारा अंकित महालक्ष्मी लेण्ड एण्ड फाईनेस कं. का नाम
खारिज होकर बंजर दर्ज हो व
27) खाता स. 2476 के ख.सं. 1564 रकबा 0.961 पर अबादी कालौनी महालक्ष्मी लेण्ड एण्ड फाईनेस कं. का नाम खारिज होकर झील दर्ज हो तथा 1363 रकबा 0.126 एवं 1447 रकबा 0.569 पर अबादी कालौनी महालक्ष्मी लेण्ड एण्ड फाईनेस कं.
का नाम खारिज होकर मारा दर्ज हो ह.अ.र.के.21-12-05

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त /बिक्रय /भू-मक्का /नामांतरण कर्ही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त अंकित मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विकल्प अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकलगाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-distric portal/CSC/Tensil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



कार्यालय: नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाष: 0120-2790425, 2713580

ई-मेल: gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांक: 339/न0आ10/2024-25

दिनांक: 27.07.2024

प्रेषक

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम
गाजियाबाद।

सेवा में

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

विषय:—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली के समक्ष योजित/विचाराधीन ओ0एस0 संख्या-737/2023 सोसाईटी फोर वॉयस ऑफ ह्यूमन राईट्स एण्ड जस्टिस एवं अन्य वनाम महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराने के सम्वन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली के समक्ष योजित/विचाराधीन ओ0एस0 संख्या-737/2023 सोसाईटी फोर वॉयस ऑफ ह्यूमन राईट्स एण्ड जस्टिस एवं अन्य वनाम महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी व अन्य के वाद की प्रति व विधि विभाग की फ़ावली की नोटिस दिनांक 22.04.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें विधि विभाग द्वारा अपनी टॉप दिनांक 22.04.2024 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन में सन्तुति विधान से आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्वन्ध में सादर अवगत कराना है कि फ़ावली में संलग्न अपर उपजिलाधिकारी न्यायालय द्वारा वाद संख्या-06/2013-14 अन्तर्गत धारा 33/39/225 अधिनियम उ0प्र0चू0रा0 अधि0-1901 ग्रान प्लॉट परगना लोनी तहसील गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 में उल्लेख किया गया है, कि एस0डी0ओ0 न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.1979 द्वारा खसरा नं0-863,946,950,1292,1263,1273,1447,1576,1527,1536,1557, 1564,1565,1577,1604,1600,1605,1607,1610,1614,1619,1628,1629,1630,1631,1632,1642,1666,1692,1693, 1078,1088/3,1081,1725 पर आवादी दर्ज की गई।

उक्त का अनुपालन 1382 फ़0 से 1388 फ़0 की खतौनी में किया गया। वर्ष 1390-95 फ़0 में विवादित सन्तुति पर आवादी शब्द के आगे कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी का नाम दर्ज पाये जाने के कारण उपजिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा आदेश दिनांक 23.03.1985 द्वारा आवादी शब्द के वाद लिखित शब्द कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी को पृथक करने का आदेश पारित किया गया।

उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी संख्या-81/84-85 अपर आयुक्त न्यायालय में निगरानी योजित हुई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 12.06.1985 द्वारा संस्तुति सहित माननीय राजस्व परिषद को निगरानी संदर्भित की गई। माननीय राजस्व परिषद द्वारा निगरानी दिनांक 29.08.1996 को निरस्त की गई। घूनि ग्राम सभा के रूप में अंकित करने का आदेश पारित किया।

माननीय राजस्व परिषद के आदेश दिनांक-29.08.1996 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने गिट संख्या-1993 (एम0/एस0)/1996 कम्पनी द्वारा योजित की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.1996 को याचिका स्वीकार करते हुए माननीय राजस्व परिषद का आदेश दिनांक 29.08.1996 निरस्त कर दिया। एस0डी0ओ0 को 33/39 के अन्तर्गत अधिकारिता तय करने का निर्देश दिया गया।



उपरोक्त निर्देश के क्रम में वाद संख्या-04/98-99 अन्तर्गत धारा 33/39 में न्यायालय परगनाधिकारी 104
गाजियाबाद के आदेश दिनांक 15.10.1999 द्वारा विवादित खसरा संख्या पर आबादी के आगे कालोनी महालक्ष्मी
लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी का नाम पृथक किया गया।

उपरोक्त आदेश दिनांक 15.10.1999 के विरुद्ध कम्पनी द्वारा निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय में योजित की
गई। अपर आयुक्त मेरठ-मण्डल, मेरठ न्यायालय द्वारा दिनांक-13.07.2000 को पारित आदेश के द्वारा निगरानी स्वीकार
की गई एवं अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 15.10.1999 निरस्त किया गया।

नगर निगम द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13.07.2000 के विरुद्ध माननीय राजस्व परिषद में निगरानी
दायर की गई। माननीय राजस्व परिषद द्वारा दिनांक 28.11.2001 को निगरानी निरस्त की गई। माननीय राजस्व परिषद
के आदेश दिनांक 28.11.2001 के विरुद्ध नगर निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट
संख्या-11754/2002 योजित की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.03.2002 द्वारा
माननीय राजस्व परिषद द्वारा पारित आदेश 28.11.2001 स्थगित किया गया। स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 10.12.2005 के आधार पर उपजिलाधिकारी सदर द्वारा पारित आदेश
दिनांक 19.12.2005 द्वारा खसरा नम्बर 1363,1447 मार्ग दर्ज किया गया खसरा नं० 1564 झील दर्ज करने व अन्य
खसरा नम्बर 863 आदि बंजर दर्ज किये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध दिनांक 03.02.2006 को महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड
फाईनेन्स कम्पनी द्वारा पुर्नस्थापना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो उपजिलाधिकारी (सदर) द्वारा दिनांक 07.12.2007 को
निरस्त कर दिया। उपजिलाधिकारी के वाद संख्या 8,9,10,11 के विरुद्ध निगरानी अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ
के यहां योजित हुई। अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2008 द्वारा उपजिलाधिकारी के
आदेश दिनांक 19.12.2005 व 07.12.2007 निरस्त कर वाद को गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करने हेतु प्रति
प्रेषित किया गया। अपर उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही माननीय
उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या-11754/2002 लम्बित रहने के कारण समाप्त कर दी गयी है।

प्रकरण में वर्णित खसरा संख्या-1564 स्थित ग्राम पसौड़ा वर्तमान अभिलेखों में खाता खतौनी संख्या-03623 पर
आबादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी के रूप में खतौनी की श्रेणी-6(2) अकृषिक भूमि दर्ज है। उद्धरण
खतौनी पत्रावली पर दाहिने ओर संलग्न है। उद्धरण की प्रति के पृष्ठ संख्या-3/4 पर क्रमांक-27 के सम्मुख "खाता
संख्या-3623 के खसरा संख्या-1564 रकबा 0.961 हे० पर आबादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी का
नाम खारिज होकर झील दर्ज हो तथा खसरा संख्या-1363 रकबा 0.126 एवं खसरा संख्या-1447 रकबा 0.569 पर
आबादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी का नाम खारिज होकर मार्ग दर्ज हो। ह० आ० के० 21.12.05",
की प्रविष्टि अंकित है। यह प्रविष्टि वर्ष 2005 की है। परन्तु भूमि अभी भी आबादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स
कम्पनी के रूप में खतौनी में अंकित है। उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 के अनुसार खसरा
संख्या-1564 क्षेत्रफल 0.9610 हे० झील अंकित हुआ था। उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 अपर
आयुक्त, मेरठ-मण्डल, मेरठ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2008 द्वारा निरस्त कर दिया गया था तथा
पत्रावली पुनः अवर न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करने हेतु प्रति प्रेषित की गयी। अपर उपजिलाधिकारी
न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 द्वारा कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है। मौकें पर उक्त भूमि में कालोनी
विकसित है। इस खसरा संख्या-1564 क्षेत्रफल 0.9610 हे० की अद्यतन स्थिति राजस्व विभाग से ही स्पष्ट हो सकती है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में किसी भिन्न अधिकारी से जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने
हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे ससमय माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष
स्थिति स्पष्ट की जा सके।

संलग्नक:- यथोक्त।

22/11/21

भवदीय
20/11/21
(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.

नगर आयुक्त

o/c

नमस्त्वास्तु

206

नमस्त्वास्तु - 1901, 2006 स० आयापतिष्ठु

आदेश पत्रक
नमस्त्वास्तु दिनांक - 3/08/2022

न्यायालय : अपर उपजिलाधिकारी सदर

मण्डल : मेरठ, जनपद : गाजियाबाद, तहसील : गाजियाबाद

वाद संख्या :- 06/2013-2014

कंप्यूटरिकृत वाद संख्या :- D20131128002613

उ०प्र० सरकार बनाम अशोक छावडा

अंतर्गत धारा :- 33/39/225, अधिनियम :- उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901

ग्राम पसौडा

परगना लोनी

तहसील व जिला गाजियाबाद।

निर्णय

पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत। उक्त वाद की कार्यवाही अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-06-2008 के क्रम में उप जिलाधिकारी, सदर गाजियाबाद द्वारा प्रारंभ की गई। उक्त वाद दिनांक 02-12-2013 को निरतारण गुण-दोष पर किये जाने हेतु इस न्यायालय को भेजी गई है। विपक्षी पर सूचना हेतु रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भेजा गया, नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा तागील नहीं होने के कारण विपक्षी पर सूचना हेतु रामाचार पत्र/दैनिक जागरण दिनांक 18-06-2022 में सम्मन/नोटिस प्रकाशित कराया गया। पर्याप्त तागील के बावजूद प्रतिवादी नहीं आये। प्रतिवादी के सुनवाई का अवसर समाप्त किया गया तथा वादी को एक पक्षीय रूप से सुना गया।

वाद के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार मुख्यालय द्वारा दिनांक 12-12-2005 को विस्तृत जांच आख्या भेजी गई जिसके अनुसार ग्राम पसौडा की सन् 1362 फसली वर्ष खतौनी खाता संख्या 678 वंजर का खाता है, जिसमें खसरा नं० 863 रकबा 0-6-0, 911/0-13-0, 946/1/0-7-0, 950/0-11-0, 1067/0-6-0, 1078/0-3-0, 1081/0-4-10, 1082/1-0-5, 1088/2-17-13, 1292/7-0-0, 1317/11-19-0, 1332मि०/2-3-0, 1373/0-5-0, 1509/1-0-0, 1516/0-8-0, 1517/0-17-0, 1527/2/0-16-0, 1536मि०/0-8-0, 1557/6-14-0, 1560/7-13-0, 1561-4-16-0, 1565/2-10-0, 1577/0-6-0, 1604मि०/0-6-0, 1605/0-15-0, 1606/0-4-0, 1607/1-3-0, 1610/0-3-0, 1614/0-10-0, 1619/1-2-0, 1621/1-18-0, 1628/0-3-0, 1629/0-8-0, 1630/0-4-0, 1631/0-3-0, 1632/0-3-0, 1634/0-9-0, 1642/0-1-0, 1666/0-3-0, 1692/5-2-0, 1693/0-4-0, 1725मि०/5-12-0, अंकित है तथा खाता संख्या 682 झील का खाता है जिसमें खसरा नं०-1564 रकबा 5-19-0 अंकित है तथा खाता संख्या 682 मार्ग का खाता है जिसमें खसरा संख्या 1363/0-10-0, 1447/2-16-0 अंकित है। नायब तहसीलदार की आख्या के अनुसार सन् 1375 से 1377 फ० के खाता संख्या 889 एवं सन् 1378 से 1381 फ० के खाता संख्या 883 में खसरा नं० 1078 रकबा 0-3-0, 1088/3 रकबा 2-17-13, 1725 रकबा 0-4-0 पर आफिशियल लिक्विडेटर नेशनल प्लानर्स लि० नई दिल्ली का नाम श्रेणी 4 में फर्जी तरीके से अंकित होना बताया गया है तथा सन् 1390 से 1396 फसली खतौनी के खाता संख्या 822 एवं सन् 1405 ता 1410 फसली के खाता संख्या 1550 एवं सन् 1412 ता 1417 के खाता संख्या 2476 पर खसरा नं० 863 रकबा 0-6-0, 946/1 रकबा 0-7-0, 950 रकबा 0-11-0, 1081 रकबा 0-4-10, 1088/3 रकबा 2-17-13, 1292 रकबा 3-13-5, 1363 रकबा 0-10-0, 1373 रकबा 0-5-0, 1527/2 रकबा 0-16-0, 1536/2 रकबा 0-7-0, 1557 मि० रकबा 0-8-14, 1565 रकबा 2-6-0, 1577 रकबा 0-6-0, 1604 रकबा 0-3-0, 1605 मि० रकबा 0-8-0, 1606 रकबा 0-1-17, 1607 रकबा 0-12-15, 1610 रकबा 0-3-0, 1614 रकबा 0-10-0, 1619 रकबा 1-2-0, 1621 रकबा 1-18-0, 1628 रकबा 0-0-18, 1629 रकबा 0-0-0, 1630 रकबा 0-4-0, 1631 रकबा 0-3-0, 1632 रकबा 0-3-0, 1642 रकबा 0-0-10, 1666 रकबा 0-0-12, 1692 रकबा 1-3-12, 1693 रकबा 0-4-0, 1725/1 रकबा 5-7-0 तथा 1564 रकबा 5-19-0, 1447 रकबा 2-16-0 पर आयादी कालोनी महात्माजी लैन्ड एण्ड फाईनेंस कम्पनी का नाम फर्जी तरीके से दर्ज होना बताया गया है खसरा नं० 1363 व 1447 मार्ग एवं 1564 झील की भूमि बताया गया है।

श्रीमान
राजेश चंद्र
शेखर
दिल्ली अजमेर
राजस्थान और
हरियाणा

इलाज में योग्य

33
432



नं० 1363, 1447 मार्ग दर्ज करने, 1564 झील दर्ज करने एवं अन्य समस्त खसरा नम्बराने दर्ज करने की संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की गयी है। नायब तहसीलदार की आख्या को तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा सहमति सहित प्रेषित किया गया है। नायब तहसीलदार/तहसीलदार की आख्या के आधार पर परगना अधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), गाजियाबाद के द्वारा दिनांक 19-12-2005 को आदेश पारित करते हुये खसरा नं० 1564 झील तथा 1363 व 1447 मार्ग दर्ज किया गया तथा शेष खसरा नं० 863 आदि बंजर दर्ज की गयी। आदेश दिनांक 19-12-2005 के विरुद्ध महालक्ष्मी लैन्ड एण्ड फा० क० लि० द्वारा डायरेक्टर अशोक छाबडा पुत्र देशराज छाबडा के द्वारा दिनांक 03-02-2006 को पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी), गाजियाबाद द्वारा दिनांक 07-12-2007 को निरस्त कर दिया गया। आदेश दिनांक 07-12-2007 के विरुद्ध महालक्ष्मी लैन्ड एण्ड फा० क० लि० द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के द्वारा प्रस्तुत निगरानी संख्या 47, 48, 49, 50 जो उप जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा वाद संख्या 8, 9, 10, 11 में पारित आदेशों के विरुद्ध दायर हुई, का निस्तारण दिनांक 03-06-2008 को करते हुये उप जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-12-2005 एवं 07-12-2007 निरस्त करते हुये वादों का निस्तारण गुणदोष पर करने हेतु प्रतिप्रेषित किये गये। वाद प्रतिप्रेषण के उपरान्त विपक्षी के अधिवक्ता दिनांक 26-12-2017 को अन्तिम बार न्यायालय में उपस्थित रहे। दिनांक 26-12-2017 के ऑडरशीट पर विपक्षी के अधिवक्ता के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं। उसके पश्चात विपक्षी स्वयं या उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। वाद का निस्तारण न्यायहित में गुणदोष पर किया जाता है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा सरकार/वादी की ओर से उपस्थित नामिका वकील (राजस्व) के विद्वत्तापूर्ण तर्क सुने। पत्रावली पर विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत कागजात के अवलोकन से विदित है कि तहसीलदार, गाजियाबाद के न्यायालय में वाद संख्या 29/432 एवं 30/433 अन्तर्गत धारा 122बी० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, भू०प्र०स० बंजाम महालक्ष्मी लैन्ड फाईनेंस कम्पनी प्रा०लि० दर्ज होकर चला। जिसमें तहसीलदार, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 05-01-1967 को खसरा नं० 863, 946, 950, 1292, 1363, 1373, 1447, 1516, 1527, 1536, 1557, 1564, 1565, 1577, 1604बी०, 1600मी०, 1606, 1607, 1610, 1614, 1619, 1621, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1642, 1666, 1692, 1693, 1078, 1088/3, 1081, 1725 के सम्बन्ध में नोटिस वापस लिये जाने का आदेश पारित किया गया तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 209 यू०पी०जैड०ए० एक्ट के अन्तर्गत एल०एम०सी० द्वारा उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद संख्या 06 एवं 07 प्रस्तुत हुये, जिसमें दिनांक 14-03-1969 को एस०डी०ओ० हापुड के द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी संख्या 184 एवं 185 महालक्ष्मी लैन्ड एण्ड फाईनेंस कम्पनी के द्वारा योजित की गयी। जिसमें अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के द्वारा दिनांक 15-01-1971 को आदेश पारित करते हुए निगरानी स्वीकार करने हेतु मा० राजस्व परिषद को संदर्भित किया गया। मा० राजस्व परिषद के द्वारा रिबीजन स्वीकार किया गया तथा एस०डी०ओ० के आदेश को खारिज किया गया और मूल वाद पोषणीय न मानते हुए दिनांक 06-09-1975 को खारिज किया गया। तदनन्तर एस०डी०ओ०, गाजियाबाद ने अपने आदेश दिनांक 08-08-1979 द्वारा विवादित सम्पत्ति को आबादी दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। जिसका अनुपालन खतौनी वर्ष 1382 से 1388 फ० पर किया गया। खतौनी वर्ष 1390 से 1395 फ० में विवादित सम्पत्ति पर आबादी शब्द के बाद "कालोनी महालक्ष्मी लैन्ड एण्ड फाईनेंस कम्पनी" का नाम दर्ज पाये जाने पर एस०डी०ओ०, गाजियाबाद द्वारा आदेश दिनांक 23-03-1985 द्वारा 'आबादी' शब्द के बाद लिखित शब्द "कालोनी महालक्ष्मी लैन्ड एण्ड फाईनेंस कम्पनी" को पृथक करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ में योजित निगरानी संख्या 81/84-85 आदेश दिनांक 12-06-1985 द्वारा संस्तुति सहित मा० राजस्व परिषद को संदर्भित की गयी। मा० राजस्व परिषद द्वारा निगरानी आदेश दिनांक 29-08-1996 द्वारा निरस्त की गयी एवं भूमि ग्राम सभा के रूप में अंकित करने का आदेश पारित किया गया। मा० न्यायालय राजस्व परिषद के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1993 (M/S)/1996 कम्पनी द्वारा योजित की गयी। मा० उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30-09-1996 द्वारा याचिका स्वीकार करते हुए मा० राजस्व परिषद का आदेश दिनांक 29-08-1996 निरस्त कर दिया गया तथा एस०डी०ओ० गाजियाबाद को धारा 33/39 भूराजस्व अधिनियम की अधिकारिता तय करते हुए आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में ही खसरा नं० 863/0-6-0, 946/1/0-7-0, 950/0-11-0, 1081/0-4-10, 1088/3/2-17-13

a

1292/3-13-5, 1363/0-10-0, 1373/0-5-0, 1447/2-5-0, 1516/0-3-0, 1527/2/0-16-0, 1536/2/0-7-0, 1557गि०/0-8-14, 1564/3-16-0, 1565/2-6-0, 1577/0-6-0, 1604गि०/0-3-0, 1605गि०/0-8-0, 1606/0-1-17, 1607/0-12-15-13, 1610/0-3-0, 1614/0-10-0, 1619/1-2-0, 1621/1-10-0, 1628-0-0-18, 1629/0-8-0, 1630/0-4-0, 1631/0-3-0, 1632/0-3-0, 1642/0-0-10, 1666/0-0-12, 1692/1-3-12, 1693/0-4-0, 1725/1/5-7-0 कुल नम्वरान 34 रकवा 31-15-6-13 के सम्बन्ध में परगना अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा 15-10-1999 को याद संख्या 4/98-99 अन्तर्गत धारा 33/39 भू-रा० ओदश पारित करते हुये खाते पर अंकित आवादी के आगे कालोनी महालक्ष्मी लैन्ड एण्ड फा० क० का नाम पृथक किया गया। उक्त आदेश दिनांक 15-10-1999 के विरुद्ध कम्पनी द्वारा निगरानी दायर की गई जो अपर आयुक्त गेरठ मण्डल गेरठ के द्वारा दिनांक 13-07-2000 को आदेश पारित कर रवीकार की गई तथा आदेश दिनांक 15-10-1999 निरस्त किया गया। न्यायालय अपर आयुक्त, गेरठ मण्डल, गेरठ के उक्त आदेश के विरुद्ध मा० राजस्य परिषद् न्यायालय में नगर निगम द्वारा निगरानी दायर की गई, जो मा० राजस्य परिषद् न्यायालय द्वारा दिनांक 28-11-2001 को निरस्त कर दी गई। आदेश दिनांक 28-11-2001 के विरुद्ध नगर निगम, गाजियाबाद के द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 11754/2002 नगर निगम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दायर की गई जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्टे आदेश पारित किया गया। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में चली कार्यवाही वाद संख्या 4 सरकार बनाम मा० महालक्ष्मी लैन्ड एण्ड फा० क० लि० में पारित आदेश दिनांक 15-10-1999 में वर्णित सम्पत्ति/खसरा नम्वरान के सम्बन्ध में प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण याद संख्या 4 में पारित आदेश दिनांक 15-10-1999 में वर्णित सम्पत्ति के सम्बन्ध में पुनः नये शिरे से कोई सुनवाई करने एवं उसके सम्बन्ध कोई आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। नायब तहसीलदार द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12-12-2005 में पूर्व में चले वाद संख्या 4 में सम्मिलित रही भूमि भी शामिल है। उक्त के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। वाद संख्या 4 में सम्मिलित भूमि के अलावा अन्य नम्वरान एवं भूमि के सम्बन्ध में सुनवाई एवं निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। नायब तहसीलदार द्वारा खसरा नं० 863 रकवा 0.076 है०, 946/1 रकवा 0.089 है०, 950 रकवा 0.1390 है०, 1081 रकवा 0.057 है०, 1088/3 रकवा 0.729 है०, 1292 रकवा 0.926 है०, 1373 रकवा 0.063 है०, 1516 रकवा 0.038 है०, 1527/2 रकवा 0.202 है०, 1536/2 रकवा 0.089 है०, 1557 गि० रकवा 0.110 है०, 1565 रकवा 0.582 है०, 1577 रकवा 0.076 है०, 1604 रकवा 0.038 है०, 1605 रकवा 0.101 है०, 1606 रकवा 0.24 है०, 1607 रकवा 0.162 है०, 1610 रकवा 0.038 है०, 1614 रकवा 0.126 है०, 1619 रकवा 0.278 है०, 1621 रकवा 0.481 है०, 1628 रकवा 0.012 है०, 1629 रकवा 0.101 है०, 1630 रकवा 0.051 है०, 1631 रकवा 0.038 है०, 1632 रकवा 0.038 है०, 1642 गि० रकवा 0.006 है०, 1666 रकवा 0.008 है०, 1692 गि० रकवा 0.298 है०, 1693 रकवा 0.051 है०, 1725 रकवा 1.354 है० पर वंजर दर्ज किये जाने एवं 1363 रकवा 0.126 है०, 1447 रकवा 0.569 है० पर मार्ग दर्ज किये जाने एवं 1564 रकवा 0.961 पर झील दर्ज किये जाने की संस्तुति की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध आदेश दिनांक 15-10-1999 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नं० 863 रकवा 0.076 है०, 946/1 रकवा 0.089 है०, 950 रकवा 0.1390 है०, 1081 रकवा 0.057 है०, 1088/3 रकवा 0.729 है०, 1292 रकवा 0.926 है०, 1373 रकवा 0.063 है०, 1516 रकवा 0.038 है०, 1527/2 रकवा 0.202 है०, 1536/2 रकवा 0.089 है०, 1557 गि० रकवा 0.110 है०, 1565 रकवा 0.582 है०, 1577 रकवा 0.076 है०, 1604 रकवा 0.038 है०, 1605 रकवा 0.101 है०, 1606 रकवा 0.24 है०, 1607 रकवा 0.162 है०, 1610 रकवा 0.038 है०, 1614 रकवा 0.126 है०, 1619 रकवा 0.278 है०, 1621 रकवा 0.481 है०, 1628 रकवा 0.012 है०, 1629 रकवा 0.101 है०, 1630 रकवा 0.051 है०, 1631 रकवा 0.038 है०, 1632 रकवा 0.038 है०, 1642 गि० रकवा 0.006 है०, 1666 रकवा 0.008 है०, 1692 गि० रकवा 0.298 है०, 1693 रकवा 0.051 है०, 1725 रकवा 1.354 है०, 1363 रकवा 0.126 है०, 1447 रकवा 0.569 है०, 1564 रकवा 0.961 के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 15-10-1999 के विरुद्ध प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण उक्त नम्वरान के सम्बन्ध में पुनः विचारण करने एवं आदेश पारित करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम परसौडा, परगना लोनी तहसील न किना गाजियाबाद के खसरा नं० 863 रकवा 0.076 है०, 946/1 रकवा 0.089 है०, 950 रकवा 0.1390 है०

1081 रकबा 0.057 है, 1088/3 रकबा 0.729 है, 1292 रकबा 0.926 है, 1373 रकबा 0.063 है, 1516 रकबा 0.038 है, 1527/2 रकबा 0.202 है, 1538/2 रकबा 0.089 है, 1557 गि 0 रकबा 0.110 है, 1565 रकबा 0.582 है, 1577 रकबा 0.076 है, 1604 रकबा 0.038 है, 1605 रकबा 0.101 है, 1606 रकबा 0.24 है, 1607 रकबा 0.162 है, 1610 रकबा 0.038 है, 1614 रकबा 0.126 है, 1619 रकबा 0.278 है, 1621 रकबा 0.481 है, 1628 रकबा 0.012 है, 1629 रकबा 0.101 है, 1630 रकबा 0.051 है, 1631 रकबा 0.038 है, 1632 रकबा 0.038 है, 1642 गि 0 रकबा 0.006 है, 1666 रकबा 0.008 है, 1692 गि 0 रकबा 0.298 है, 1693 रकबा 0.051 है, 1725 रकबा 1.354 है, 1363 रकबा 0.126 है, 1447 रकबा 0.569 है, 1564 रकबा 0.961 के सम्बन्ध में प्रस्तुत कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 03-08-2022

(चन्द्रेश कुमार सिंह)
अपर उप जिलाधिकारी/
सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी),
गाजियाबाद।



स्टाम्प रकबा... सकाईमाप है
प्रार्थनापत्र देने की दिनांक 28/6/24
नकल तैयारी की दिनांक 1/7/24
रकबा देने की दिनांक 1/7/24

नकल कर्ता
तुलना कर्ता

सन्मति लिपि
राजेश्वर अभिलषणकार (सु/अमि 0)
कलेक्टर गाजियाबाद

495
16/8/24



3823
21-08-24

109

096

ANNEXURE A-4

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद।

(OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD)

पत्रांक: 94(A) / एस0टी0-डी0एम0 / 2024

दिनांक: 12-08-2024

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
गाजियाबाद।

AMC (AKY)

कृ. नि. क. क. क. क. क. क.

16/08/24

प्रकाश रामानुज/डा.
नि. नि. नि. नि. नि. नि. नि.
क. क. क. क. क. क. क.
20/08/24

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष योजित/विचाराधीन ओ0एस0 संख्या 737/2023 सोसायटी फोर वॉयस ऑफ ह्यूमन एण्ड जस्टिस एवं अन्य बनाम महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेंस कम्पनी व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या:-399/न0आ0/2024-25 दिनांक 22.07.2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित तथ्यों के कम में खसरा संख्या 1564 क्षेत्रफल 0.9601 है0 की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण की जाँच उपजिलाधिकारी सदर गाजियाबाद से करायी गयी। उपजिलाधिकारी सदर गाजियाबाद के द्वारा प्रकरण की जाँच तहसीलदार सदर गाजियाबाद से कराते हुये अपने कार्यालय पत्र संख्या:-7878(ए)/एस0टी0-एस0डी0एम0/2024 दिनांक 26.07.2024 के द्वारा प्रकरण की जाँच आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जो पत्र के साथ मूलरूप में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक:-यथोपरि।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

संपत्ति अधिकारी
कृ. नि. क. क. क. क. क. क.
20.08.24



कार्यालय उप जिलाधिकारी गाजियाबाद ।

OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL MAGISTRATE GHAZIABAD

पत्रांक: 7878 (A) / एस0टी0-एस0डी0एम0 / 2024 दिनांक: 26-07-2024

अपर जिलाधिकारी(प्र0),
गाजियाबाद ।

विषय:—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष योजित/विचाराधीन ओ0एस0 संख्या 737/2023 सोसायटी फोर वॉयस ऑफ ह्यूमन एण्ड जस्टिस एवं अन्य बनाम महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेंस कम्पनी व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गाजियाबाद के कार्यालय पत्र संख्या:—399/न0आ0/2024-25 दिनांक 22.07.2024 पर पृष्ठांकन जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के कार्यालय पत्र संख्या:—52/एस0टी0-डी0एम0/2024 दिनांक 22.07.2024 पर पृष्ठांकन अपने आदेश पत्र संख्या:—1650/एस0टी0-ए0डी0एम0(प्र0)/2024 दिनांक 23.07.2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित तथ्यों के क्रम में खसरा संख्या 1564 क्षेत्रफल 0.9601 है0 की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण की जाँच तहसीलदार सदर गाजियाबाद से करायी गयी। तहसीलदार सदर गाजियाबाद के द्वारा प्रकरण की जाँच कराकर अपने कार्यालय पत्र संख्या:—1151/आर0सी0-24 दिनांक 26.07.2024 उपलब्ध करायी गयी है जो पत्र के साथ संलग्नकर महोदय की सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:—यथोपरि।

1817/5 OC (NGT)
NGT लिपिक

(अरुण दीक्षित)
उप जिलामजिस्ट्रेट
गाजियाबाद।

RV
ADM-E
30/7/24


माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण 207 मिसिपल बैन्च, नई दिल्ली के 111 समक्ष
योजित/विचाराधीन ओ0एस0 संख्या 737/2023 सोसायटी फोर वॉयस ऑफ ह्यूमन
एण्ड जस्टिस एवं अन्य बनाम महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेंस कम्पनी व अन्य में
माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन में आख्या
उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गाजियाबाद के कार्यालय
पत्र संख्या:-399/न0आ0/2024-25 दिनांक 22.07.2024 पर पृष्ठांकन जिलाधिकारी महोदय
गाजियाबाद के कार्यालय पत्र संख्या:-52/एस0टी0-डी0एम0/2024 दिनांक 22.07.2024, का
संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रश्नगत पत्र में
उल्लिखित तथ्यों के कम में खसरा संख्या 1564 क्षेत्रफल 0.9601 है0 की अद्यतन स्थिति के
सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसीलदार गाजियाबाद के
न्यायालय में वाद संख्या 29/432 एवं 30/433 अन्तर्गत धारा 122बी0 जमींदारी विनाश एवं
भूमि व्यवस्था अधिनियम, भू0प्र0स0 बनाम महालक्ष्मी लैण्ड फाईनेंस कम्पनी प्रा0लि0 दर्ज होकर
चला जिसमें तहसीलदार, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 05-01-1967 को खसरा नं0 863, 946,
950, 1292, 1363, 1373, 1447, 1516, 1527, 1536, 1557, **1564**, 1565, 1577, 1604मी0,
1600मी0, 1606, 1607, 1610, 1614, 1619, 1621, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1642,
1666, 1692, 1693, 1078, 1088/3, 1081, 1725 के सम्बन्ध में नोटिस वापस लिये जाने का
आदेश पारित किया गया तथा उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 209 यू0पी0जैड0ए0 एक्ट के
अन्तर्गत एल0एम0सी0 द्वारा उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद संख्या 06 एवं 07 प्रस्तुत हुये,
जिसमें दिनांक 14-03-1969 को एस0डी0ओ0 हापुड के द्वारा ग्राहयता के बिन्दु पर आदेश
पारित किये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी संख्या 184 एवं 185 महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड
फाईनेंस कम्पनी के द्वारा योजित की गयी। जिसमें अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के द्वारा
दिनांक 15-01-1971 को आदेश पारित करते हुए निगरानी स्वीकार करने हेतु मा0 राजस्व
परिषद को संदर्भित किया गया। मा0 राजस्व परिषद के द्वारा रिवीजन स्वीकार किया गया
तथा एस0डी0ओ0 के आदेश को खारिज किया गया और मूल वाद पोषणीय न मानते हुए
दिनांक 06-09-1975 को खारिज किया गया। तदनन्तर एस0डी0ओ0, गाजियाबाद ने अपने
आदेश दिनांक 08-08-1979 द्वारा विवादित सम्पत्ति को आबादी दर्ज करने का आदेश पारित
किया गया। जिसका अनुपालन खतौनी वर्ष 1382 से 1388 फ0 पर किया गया। खतौनी वर्ष
1390 से 1395 फ0 में विवादित सम्पत्ति पर आबादी शब्द के बाद "कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड
एण्ड फाईनेंस कम्पनी" का नाम दर्ज पाये जाने पर एस0डी0ओ0, गाजियाबाद द्वारा आदेश
दिनांक 23-03-1985 द्वारा 'आबादी' शब्द के बाद लिखित शब्द "कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड
एण्ड फाईनेंस कम्पनी" को पृथक करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध
न्यायालय अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ में योजित निगरानी संख्या 81/84-85 आदेश
दिनांक 12-06-1985 द्वारा संस्तुति सहित मा0 राजस्व परिषद को संदर्भित की गयी। मा0
राजस्व परिषद द्वारा निगरानी आदेश दिनांक 29-08-1996 द्वारा निरस्त की गयी एवं भूमि
ग्राम सभा के रूप में अंकित करने का आदेश पारित किया गया। मा0 न्यायालय राजस्व
परिषद के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1993
(M/S)/1996 कम्पनी द्वारा योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक
30-09-1996 द्वारा याचिका स्वीकार करते हुए मा0 राजस्व परिषद का आदेश दिनांक


तहसीलदार


तहसीलदार




-08-1996 निरस्त कर दिया गया तथा एन0ओ0 गाजियाबाद को धारा 33/39 राजस्व अधिनियम की अधिकारिता तय करते हुए आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में ही खसरा नं0 863, 946/1, 950, 1081, 1088/3, 1292, 1363, 1373, 1447, 1516, 1527/2, 1536/2, 1557मि0, 1564, 1565, 1577, 1604मि0, 1605मि0, 1606, 1607, 1610, 1614, 1619, 1621, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1642, 1666, 1692, 1693, 1725/1 कुल नम्बरान 34 के सम्बन्ध में परगना अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 15-10-1999 को वाद संख्या 4/98-99 अन्तर्गत धारा 33/39 भू-रा0 ओदश पारित करते हुये खाते पर अंकित आबादी के आगे कालोनी महालक्ष्मी लैन्ड एण्ड फा0 क0 का नाम पृथक किया गया। उक्त आदेश दिनांक 15-10-1999 के विरुद्ध कम्पनी द्वारा निगरानी दायर की गई जो अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के द्वारा दिनांक 13-07-2000 को आदेश पारित कर स्वीकार की गई तथा आदेश दिनांक 15-10-1999 निरस्त किया गया। न्यायालय अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 राजस्व परिषद न्यायालय में नगर निगम द्वारा निगरानी दायर की गई, जो मा0 राजस्व परिषद् न्यायालय द्वारा दिनांक 28-11-2001 को निरस्त कर दी गई। आदेश दिनांक 28-11-2001 के विरुद्ध नगर निगम, गाजियाबाद के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 11754/2002 नगर निगम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दायर की गई जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्टे आदेश पारित किया गया। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में चली कार्यवाही वाद संख्या 4 सरकार बनाम मै0 महालक्ष्मी लैन्ड एण्ड फा0 क0लि0 में पारित आदेश दिनांक 15-10-1999 में वर्णित सम्पत्ति/खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अपर उपजिलाधिकारी सदरं/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद के द्वारा न्यायालय में योजित वाद संख्या 06/2013-2014 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी20131128002613 उ0प्र सरकार बनाम अशोक छाबड़ा अन्तर्गत धारा 33/39/225, अधिनियम उ0प्र0 भू-राजस्व0 अधिनियम 1901 ग्राम पसौंडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद में खसरा नं0 1564 के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया कि आदेश दिनांक 15.10.1999 के विरुद्ध प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है जिस कारण उक्त नम्बरान के सम्बन्ध में पुनः विचारण करने एवं आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।


प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका संख्या 11754/2022 नगर निगम बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में नगर निगम की ओर से प्रभावी पैरवी किया जाना अपेक्षित है।


उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ग्राम पसौंडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 2476 हिण्डन एयर फील्ड के नाम दर्ज है एवं हिण्डन एयर फोर्स मौके पर काबिज है। खतौनी की नकल साथ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-यथोपरि।


तहसीलदार
गाजियाबाद


तहसीलदार
गाजियाबाद


तहसीलदार
गाजियाबाद
26/1/2024



कार्यालय: नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाष: 0120-2790425, 2713580

ई-मेल: gzb.nagar.nlgam@gmail.com

पत्रांक: 399/न0आ0/2024-25

दिनांक: 27.7.2024

प्रेषक

नगर-आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम
गाजियाबाद।

सेवा में

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

ASm E

मे नगराज नगर
नगर नगर निगम
Sbm Sader & nlgam
नगर निगम
नगर निगम

विषय:—माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष योजित/विचाराधीन ओ0एस0 संख्या-737/2023 सोसाईटी फोर वॉयस ऑफ ह्यूमन राईट्स एण्ड जस्टिस एवं अन्य बनाम महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष योजित/विचाराधीन ओ0एस0 संख्या-737/2023 सोसाईटी फोर वॉयस ऑफ ह्यूमन राईट्स एण्ड जस्टिस एवं अन्य बनाम महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी व अन्य के वाद की प्रति व विधि विभाग की पत्रावली की नोटशीट दिनांक 22.04.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें विधि विभाग द्वारा अपनी टोप दिनांक 22.04.2024 द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 के अनुपालन में सम्पत्ति विभाग से आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि पत्रावली में संलग्न अपर उपजिलाधिकारी न्यायालय द्वारा वाद संख्या-06/2013-14 अन्तर्गत धारा 33/39/225 अधिनियम 30प्र0भू0रा0 अधि0-1901 ग्राम पसीडा परगना लोनी तहसील गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 में उल्लेख किया गया है, कि एस0डी0ओ0 गाजियाबाद के आदेश दिनांक 08.08.1979 द्वारा खसरा नं0-863,946,950,1292,1263,1273,1447,1576,1527,1536,1557, 1564,1565,1577,1604,1600,1605,1607,1610,1614,1619,1628,1629,1630,1631,1632,1642,1666,1692,1693, 1078,1088/3,1081,1725 पर आवादी दर्ज की गई।

उक्त का अनुपालन 1382 फ0 से 1388 फ0 की खतीनी में किया गया। वर्ष 1390-95 फ0 में विवादित सम्पत्ति पर आवादी शब्द के आगे कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी का नाम दर्ज पाये जाने के कारण उपजिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा आदेश दिनांक 23.03.1985 द्वारा आवादी शब्द के बाद लिखित शब्द कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी को पृथक करने का आदेश पारित किया गया।

उक्त आदेश के विरुद्ध निगरानी संख्या-81/84-85 अपर आयुक्त न्यायालय में निगरानी योजित हुई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 12.06.1985 द्वारा सरतुति सहित माननीय राजस्व परिषद को निगरानी संदर्भित की गई। माननीय राजस्व परिषद द्वारा निगरानी दिनांक 29.08.1996 को निरस्त की गई। भूमि ग्राम सभा के रूप में अंकित करने का आदेश पारित किया।

माननीय राजस्व परिषद के आदेश दिनांक-29.08.1996 को विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या-1993 (एम0/एस0)/1996 कम्पनी द्वारा योजित की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.1996 को याचिका स्वीकार करते हुए माननीय राजस्व परिषद का आदेश दिनांक 29.08.1996 निरस्त कर दिया। एस0डी0ओ0 को 33/39 के अन्तर्गत अधिकारिता तय करने का निर्देश दिया गया।

lom

उपरोक्त निर्देश के क्रम में वाद संख्या-04/98-99 अन्तर्गत धारा 33/39 में न्यायालय परगनाधिकारी का निर्णय आदेश दिनांक 15.10.1999 द्वारा विवादित खसरा संख्या पर आवादी के आगे कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी का नाम पृथक किया गया।

उपरोक्त आदेश दिनांक 15.10.1999 के विरुद्ध कम्पनी द्वारा निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय में योजित की गई। अपर आयुक्त मेरठ-मण्डल, मेरठ न्यायालय द्वारा दिनांक-13.07.2000 को पारित आदेश के द्वारा निगरानी स्वीकार की गई एवं अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 15.10.1999 निरस्त किया गया।

नगर निगम द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 13.07.2000 के विरुद्ध माननीय राजस्व परिषद में निगरानी अवर की गई। माननीय राजस्व परिषद द्वारा दिनांक 28.11.2001 को निगरानी निरस्त की गई। माननीय राजस्व परिषद के आदेश दिनांक 28.11.2001 के विरुद्ध नगर निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या-11754/2002 योजित की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.03.2002 द्वारा माननीय राजस्व परिषद द्वारा पारित आदेश 28.11.2001 स्थगित किया गया। स्थगन आदेश वर्तमान में प्रभावी है।

नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक 10.12.2005 के आधार पर उपजिलाधिकारी सदर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 द्वारा खसरा नम्बर 1363,1447 मार्ग दर्ज किया गया खसरा नं० 1564 झील दर्ज करने व अन्य खसरा नम्बर 863 आदि बंजर दर्ज किये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध दिनांक 03.02.2006 को महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी द्वारा पुनर्स्थापना प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो उपजिलाधिकारी (सदर) द्वारा दिनांक 07.12.2007 को निरस्त कर दिया। उपजिलाधिकारी के वाद संख्या 8,9,10,11 के विरुद्ध निगरानी अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के यहां योजित हुई। अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2008 द्वारा उपजिलाधिकारी के आदेश दिनांक 19.12.2005 व 07.12.2007 निरस्त कर वाद को गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया गया। अपर उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या-11754/2002 लम्बित रहने के कारण समाप्त कर दी गयी है।

प्रकरण में वर्णित खसरा संख्या-1564 स्थित ग्राम पत्तौडा वर्तमान अभिलेखों में खाता खतीनी संख्या-03623 पर आवादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी के रूप में खतीनी की श्रेणी-6(2) अकृषिक भूमि दर्ज है। उद्घरण खतीनी पत्रावली पर दाहिने ओर संलग्न है। उद्घरण की प्रति के पृष्ठ संख्या-3/4 पर क्रमांक-27 के सम्मुख "खाता संख्या-3623 के खसरा संख्या-1564 रकबा 0.961 हे० पर आवादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी का नाम खारिज होकर झील दर्ज हो तथा खसरा संख्या-1363 रकबा 0.126 एवं खसरा संख्या-1447 रकबा 0.569 पर आवादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी का नाम खारिज होकर मार्ग दर्ज हो। हे० आर० के० 21.12.05।" की प्रविष्टि अंकित है। यह प्रविष्टि वर्ष 2005 की है। परन्तु भूमि अभी भी आवादी कालोनी महालक्ष्मी लैण्ड एण्ड फाईनेन्स कम्पनी के रूप में खतीनी में अंकित है। उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 के अनुसार खसरा संख्या-1564 क्षेत्रफल 0.9610 हे० झील अंकित हुआ था। उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 अपर आयुक्त, मेरठ-मण्डल, मेरठ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2008 द्वारा निरस्त कर दिया गया था तथा पत्रावली पुनः अवर न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करने हेतु प्रति प्रेषित की गयी। अपर उपजिलाधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2022 द्वारा कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है। मौके पर उक्त भूमि में कालोनी विकसित है। इस खसरा संख्या-1564 क्षेत्रफल 0.9610 हे० की अद्यतन स्थिति राजस्व विभाग से ही स्पष्ट हो सकती है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों के सम्यन्ध में किसी भिन्न अधिकारी से जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्यन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे सततमान माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष स्थिति स्पष्ट की जा सके।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

(विक्रमादित्य सिंह मुलिक)

आई.ए.एस.

नगर आयुक्त